वार्षिक रिपोर्ट

ANNUAL REPORT

2006-07

राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग
भारत सरकार
नई दिल्ली

NATIONAL STATISTICAL COMMISSION
GOVERNMENT OF INDIA
NEW DELHI

सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट

Annual Report

2006-07

राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग
भारत सरकार
नई दिल्ली

National Statistical Commission
Government of India
New Delhi

विषय-वस्तु

खंड	शीर्षक	पृष्ठ
I	सांख्यिकीय आयोग की पृष्ठभूमि एवं संरचना	1
II	आयोग की संरचना	2
III	आयोग के विचारार्थ विषय	6
IV	आयोग की बैठकों एवं परामर्शों के विवरण	8
V	वर्ष 2006-07 के लिए बजट	17
VI	अनुबंध	
	I. राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग के गठन संबंधी भारत सरकार का संकल्प	
	II. राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों तथा भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् के लिए सेवा शर्त	
	III. राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग के गठन संबंधी अधिसूचना	

Contents

Section	Title	page
I	**Background and Constitution of the Statistical Commission**	1
II	**Composition of the Commission**	1
III	**Terms of reference of the Commission**	6
IV	**Details of Commission's meetings and consultations**	9
V	**Budget for the year 2006-07**	18
VI	**Annexure**	
	I. Government of India resolution setting up the National Statistical Commission	
	II. Service Condition for Chairperson and Members of the National Statistical Commission and Chief Statistician of India	
	III. Notification constituting the National Statistical Commission	

प्रयुक्त शब्द संक्षेप

एसीएनएएस	राष्ट्रीय लेखा संबंधी सलाहकार समिति
सीएसओ(के.सां.का.)	केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय
सीएसआई	भारत के मुख्य सांख्यिकीविद्
आईटी	सूचना प्रौद्योगिकी
आईएसआई(भा.सा.सं.)	भारतीय सांख्यिकीय संस्थान
एमओएस एंड पीआई	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
एनएसएसओ (रा.प्र.सर्वे.सं.)	राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन
एनएससी	राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग
एनएसओ	राष्ट्रीय सांख्यिकीय संगठन
एनएएस	राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी
एनएडी(रा.ले.प्र.)	राष्ट्रीय लेखा प्रभाग
एससीआईएस	औद्योगिक सांख्यिकी संबंधी स्थायी समिति

प्रस्तावना

राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग, अध्यक्ष तथा सदस्यों के कार्यभार ग्रहण करने के साथ, 12 जुलाई, 2006 को अस्तित्व में आया । आयोग की यह प्रथम वार्षिक रिपोर्ट **1 जून, 2005** के सरकारी संकल्प **सं.ए-11011/1/2005-प्रशा.I** के पैराग्राफ 12 के अनुपालन में तैयार की गई है जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि "आयोग प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु वित्त वर्ष के दौरान किए गए अपने कार्यकलापों का पूर्ण ब्यौरा देते हुए अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और इसे केन्द्र सरकार को भेजेगा" ।

आयोग अपनी स्थापना से ही उसे भेजे गए मामलों तथा उसके अधिदेश के अंतर्गत शामिल किए गए विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श करने हेतु नियमित रूप से बैठकें आयोजित कर रहा है । आयोग की बैठकों के अतिरिक्त, राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रणाली से संबंधित मुद्दों पर विभिन्न विभागों तथा संगठनों के साथ परामर्श तथा गहन बैठकें भी आयोजित की गईं ।

डॉ. रमेश चंद्र पांडा, सचिव, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने 20 फरवरी, 2007 तक आयोग के पदेन सदस्य सचिव के रूप में कार्य किया जिसके पश्चात डॉ. प्रणव सेन ने भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् तथा आयोग के सचिव के रूप में कार्यभार संभाला ।

I. सांख्यिकीय आयोग की पृष्ठभूमि तथा गठन

1. सांख्यिकीय आयोग का गठन

देश की सरकारी सांख्यिकीय प्रणाली की समीक्षा करने हेतु भारत सरकार ने जनवरी, 2000 में आंध्र प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल डॉ.सी.रंगराजन की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग स्थापित किया था । आयोग ने अपनी सिफारिशें अगस्त 2001 में प्रस्तुत कीं और अन्य बातों के साथ-साथ सांख्यिकी संबंधी एक सांविधिक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना किए जाने की सिफारिश की ताकि यह देश के सभी कोर सांख्यिकी कार्यकलापों हेतु नोडल तथा शक्तिप्रदत्त निकाय के रूप में सेवा प्रदान कर सके, सांख्यिकीय प्राथमिकताएं तथा मानक तैयार कर सके, उन पर निगरानी रख सके तथा उन्हें लागू कर सके । रंगराजन आयोग ने यह भी सिफारिश की है कि आयोग की स्थापना प्रारंभिक रूप से एक सरकारी आदेश के माध्यम से की जाए जिसमें जब आयोग अपने क्रियाकलाप आरंभ करता है उस समय की जमीनी हकीकतों और उससे उत्पन्न होने वाली आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उसे कानून बनाने के थोड़े से अधिकार प्रदान किए जाएं । उपर्युक्त सिफारिशों के अनुसार, राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग का गठन **1 जून, 2005** को सरकारी संकल्प **सं. ए-11011/1/2005-प्रशासन-I** के अंतर्गत किया गया है । संकल्प की प्रति **अनुबंध-I** पर है ।

II. आयोग की संरचना

2.1 आयोग में एक अंशकालिक अध्यक्ष तथा चार अंशकालिक सदस्य शामिल हैं । सचिव, योजना आयोग, आयोग के पदेन सदस्य हैं तथा भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् आयोग के सचिव हैं । वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में भारतीय सांख्यिकीय सेवा के अधिकारी राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग सचिवालय की सहायतार्थ हैं ।

आयोग की स्थापना तथा अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा शर्तों संबंधी सरकारी आदेश अनुबंध-II में दिया गया है ।

2.2 आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों तथा भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् का चयन :

राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों तथा सचिव(भारत के मुख्य सांख्यिकीविद्) का चयन एक खोज समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया था जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति शामिल थे:

(i) डॉ. मोंटेक सिंह अहलुवालिया, उपाध्यक्ष, योजना आयोग - अध्यक्ष;
(ii) डॉ. राकेश मोहन, डिप्टी गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक - सदस्य;
(iii) डॉ.शंकर कुमार पाल, निदेशक, भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, कोलकाता - सदस्य; और
(iv) डॉ.के.एल.कृष्णा, पूर्व प्रोफेसर, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, नई दिल्ली - सदस्य ।

खोज समिति ने अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप दिया और तदनुसार भारत सरकार ने दिनांक 3 जुलाई, 2006 के आदेश सं. आर-16025/3/2005-एनएससी द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को अध्यक्ष एवं सदस्यों के रूप में नियुक्त किया - **अनुबंध-III**

(i) प्रो.सुरेश डी तेंदुलकर, **अध्यक्ष**
(ii) डॉ. सुरजीत एस.भल्ला, **सदस्य**
(iii) डॉ. अमिताभ कुंडू, **सदस्य**
(iv) डॉ. पदम सिंह, **सदस्य**
(v) प्रो. बिकास सिन्हा, **सदस्य**

आयोग ने 12 जुलाई, 2006 को औपचारिक रूप से कार्यभार संभाला । 21 फरवरी, 2007 को डॉ. प्रणव सेन को भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् तथा आयोग के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया ।

12 जुलाई, 2006 को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद् के अध्यक्ष, डॉ. सी.रंगराजन की उपस्थिति में आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य कार्यभार ग्रहण करते हुए ।

31 जुलाई, 2006 को राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के साथ आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य प्रधानमंत्री से भेंट करते हुए ।

आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के बारे में

प्रो. सुरेश तेन्दुलकर का जन्म फरवरी, 1939 में हुआ, उन्होंने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र-सांख्यिकी में स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण की तथा राकफेलर फाउन्डेशन स्कॉलर के रूप में हारवर्ड विश्वविद्यालय से पी.एच.डी. की उपाधि प्राप्त की । दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में कार्य ग्रहण करने से पूर्व, जहां से वह 2004 में सेवानिवृत्त हुए थे, प्रो. तेन्दुलकर ने वर्ष 1978 तक भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, दिल्ली में अध्यापन का कार्य किया तथा अनुसंधान कार्यों में लिप्त रहे । वह प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद् के (अंशकालिक) सदस्य भी हैं । प्रो.तेंदुलकर ने भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित अनुप्रयुक्त विकासात्मक मुद्दों पर व्यापक रूप से लेखन कार्य किया है और वे विभिन्न पदों पर रहते हुए भारतीय सांख्यिकीय प्रणाली से तीन-दशक से ज्यादा जुड़े रहे हैं । उन्होंने पांचवे वेतन आयोग सहित कई सरकारी समितियों तथा तकनीकी समूहों को भी अपनी सेवाएं प्रदान की हैं ।

डॉ. सुरजीत एस.भल्ला ने वर्ष 1976 में प्रिंसटन विश्वविद्यालय से अपनी पीएचडी की उपाधि प्राप्त की । वह वर्तमान में ऑक्सस इन्वेस्टमेंट प्रा.लि. के प्रमुख हैं । रैंड कार्पोरेशन एंड ब्रूकिंग्स इंस्टीट्यूशन से थोड़े समय तक जुड़े रहने के पश्चात् उन्होंने विश्व बैंक में कार्यभार ग्रहण किया । वह नई दिल्ली में नीतिसमूह (पॉलिसी ग्रुप) के कार्यकारी निदेशक थे । बाद में उन्होंने गोल्डमैन सेच्स, न्यूयार्क तथा डोयश बैंक में कार्य किया । उन्होंने वैश्वीकरण, गरीबी, आर्थिक विकास, पूंजी बाजार आदि पर अनेक पुस्तकें तथा लेख लिखे हैं ।

प्रो.अमिताभ कुंडु ने सागर विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में अपनी स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की । उन्होंने अपनी पी.एच.डी. जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से हासिल की और पेनसिलवेनिया विश्वविद्यालय, संयुक्त राज्य अमेरिका से एक "फुलब्राइट स्कॉलर" के रूप में पोस्ट डॉक्टोरल अनुसंधान किया । इस समय वे क्षेत्रीय विकास अध्ययन केंद्र में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर तथा सामाजिक विज्ञान स्कूल, जवाहरलाल विश्वविद्यालय में डीन हैं । उन्होंने भारत और विदेश में अध्यापन कार्य किया और वे गुजरात विकास अनुसंधान संस्थान के निदेशक रहे । उनकी रूचि के अनुसंधानों में क्षेत्रीय विकास, नगरीकरण, गरीबी और विकास अर्थशास्त्र शामिल है ।

प्रो. बिकास सिन्हा को कलकत्ता विश्वविद्यालय ने सांख्यिकी में स्नातकोत्तर (1967) और पीएचडी (1973) उपाधियां प्रदान कीं । वर्तमान में, वे भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, कोलकाता में सांख्यिकी के वरिष्ठ प्रोफेसर हैं । उन्होंने सं.रा.अ./कनाडा/यूरोप/एशिया में अध्यापन/अनुसंधान सहयोग/परामर्श कार्यों के संबंध में व्यापक यात्राएं कीं । उन्हें सर्वेक्षण रीतिविधान संबंधी कार्यशाला हेतु मिशन के लिए एक संयुक्त राज्य विशेषज्ञ के रूप में चुना गया । वे सांख्यिकीय सिद्धांत और अनुप्रयोग से संबंधित बहुत से अनुसंधान पेपर्स के लेखक तथा सह-लेखक हैं ।

डॉ. पदम सिंह ने दिल्ली विश्वविद्यालय से सांख्यिकी में पीएचडी की । वे सांख्यिकीय प्रतिचयन में विशेषज्ञ हैं । उन्होंने 1979 में योजना आयोग में संयुक्त सलाहकार का कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व भारतीय कृषि सांख्यिकी संस्थान में अध्यापन कार्य किया । वे 1987 से 1998 तक चिकित्सा सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान के निदेशक रहे । वे 1998 से 2004 तक भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अपर महानिदेशक रहे । उन्होंने स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों तथा प्रतियन के क्षेत्र में बहुत से अनुसंधान पेपर्स प्रकाशित किए हैं । वर्तमान में, वे अनुसंधान तथा मूल्यांकन, ईपीओएस स्वास्थ्य(भारत) के भी अध्यक्ष हैं ।

डॉ.प्रणब सेन योजना आयोग में प्रधान सलाहकार और परिप्रेक्ष्य-योजना प्रभाग तथा सांख्यिकी एवं सर्वेक्षण प्रभाग के अध्यक्ष रहे । उन्होंने जॉर्ज वाशिंगटन विश्वविद्यालय से अपनी स्नातकोत्तर तथा जोन्स होपकिन्स विश्वविद्यालय, यू.एस.ए. से पीएचडी की उपाधि हासिल की । डॉ.सेन को सरकारी और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का व्यापक अनुभव है और उनकी विशेषज्ञता के क्षेत्र में विकास अर्थशास्त्र, लोक वित्त तथा मुक्त अर्थव्यवस्था वृहत्-प्रणाली शामिल है ।

डॉ. रमेश चन्द्र पाण्डा, फरवरी, 2007 तक आयोग के पदेन सचिव रहे । वे 1972 बैच के आईएएस (तमिलनाडु संवर्ग) हैं । डॉ. पाण्डा अर्थशास्त्र में डॉक्टोरेट हैं और उन्हें भारत सरकार एवं तमिलनाडु सरकार में विविध प्रकार का अनुभव प्राप्त है । वे तमिलनाडु में ग्रामीण विकास और कृषि विभागों में सचिव रहे । उन्हें कृषि, पशुपालन, डेयरिंग, रेशम उत्पादन, वानिकी, मत्स्यन और पेय जल आपूर्ति के क्षेत्र में व्यापक अनुभव है । डॉ. पाण्डा ने अगस्त, 2003 से फरवरी, 2007 तक सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में पहले अपर सचिव, फिर विशेष सचिव तथा अंत में सचिव के रूप में कार्य किया ।

III आयोग के विचारार्थ विषय

सरकारी संकल्प में आयोग के कार्यों के रूप में निम्नलिखित सूचीबद्ध हैं :-

(क) कोर सांख्यिकी जो राष्ट्रीय महत्व की है और अर्थव्यवस्था के विकास के लिए अति महत्वपूर्ण है, की पहचान करना;

(ख) विविध तकनीकी मुद्दों पर आयोग की सहायता के लिए व्यावसायिक समितियों या कार्य-समूह का गठन करना;

(ग) सांख्यिकी प्रणाली के संबंध में राष्ट्रीय नीतियां एवं प्राथमिकताएं तैयार करना;

(घ) सांख्यिकी के विभिन्न क्षेत्रों में मानक सांख्यिकीय अवधारणाओं, परिभाषाओं, वर्गीकरणों तथा रीतिविधानों को तैयार करना और कोर सांख्यिकी पर राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों को निर्धारित करना;

(ड.) विविध आंकड़ा सेटों के लिए कैलेण्डर जारी करने सहित कोर सांख्यिकी के संग्रहण, सारणीयन तथा प्रसार के लिए राष्ट्रीय रणनीति तैयार करना;

(च) सांख्यिकीय प्रणाली के लिए सूचना प्रौद्योगिकी तथा संचार आवश्यकताओं सहित सरकारी सांख्यिकी संबंधी मानव संसाधन विकास के लिए राष्ट्रीय रणनीतियां तैयार करना;

(छ) सरकारी सांख्यिकी में लोक विश्वास में सुधार लाने के लिए उपाय करना;

(ज) विद्यमान संस्थागत तंत्र को सुदृढ़ करने सहित सांख्यिकीय कार्यकलापों पर राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के साथ प्रभावकारी समन्वय के लिए उपाय करना;

(झ) केन्द्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों और अन्य अभिकरणों के बीच सांख्यिकीय समन्वय करना;

(त्र) सांख्यिकीय उत्पादों की गुणवत्ता एवं सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने के लिए सांख्यिकीय गतिविधियों की सांख्यिकीय लेखा-परीक्षा करना;

(ट) केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार को जैसा भी मामला हो, मानकों, रणनीतियों को कारगर ढंग से कार्यान्वित करने के लिए उपाय तथा खण्ड(ग) से (ज) तक के अधीन तैयार किए गए अन्य उपायों की सिफारिश करना;

(ठ) राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग के लिए संविधि सहित सांख्यिकीय मामलों पर विधायी उपायों की आवश्यकता पर सरकार को सलाह देना;

(ड) निर्धारित नीतियों, मानकों तथा रीतिविधानों के मद्देनजर सांख्यिकीय प्रणाली के कार्यकरण की समीक्षा तथा निगरानी करना और कार्य निष्पादन बढ़ाने के लिए उपायों की सिफारिश करना;

आयोग के कार्यों और उत्तरदायित्वों का सिंहावलोकन

रा.सां.आ. की स्थापना डॉ.रंगराजन आयोग की प्रमुख सिफारिशों में से एक को पूरा करना है । रंगराजन आयोग की रिपोर्ट यर्थाथता, समयबद्धता और विश्वसनीयता के संबंध में भारतीय सांख्यिकीय

प्रणाली में त्रुटियों का स्पष्ट उल्लेख करती है । इन त्रुटियों से सरकार, ऐकॅडेमिया(विद्वत्परिषदों), जनता तथा सांख्यिकीय प्रणाली के अंतर्राष्ट्रीय प्रयोक्ताओं की मांगों और प्रत्याशाओं को पूरा करने संबंधी असफलता परिलक्षित होती है, जबकि यह स्पष्ट विदित है कि ये प्रत्याशाएं वर्तमान स्थिति पर निर्भर हैं और भविष्य में ये और बढ़ सकती हैं । **यर्थाथता** का संदर्भ सरकारी नीति, व्यवसाय और सामान्य जनता की मांग को पूरा करने के लिए प्रणाली के विद्यमान उत्पादन की व्यवहार्यता से है । **समयबद्धता** का संदर्भ न केवल सरकारी सांख्यिकी के प्रकाशन में विलंब कम करने से है, बल्कि आकस्मिकता एवं उभरती हुई आवश्कताओं को समय से पूरा करने के लिए प्रणाली को भी उत्तरदायी बनाने से है । तृतीय पहलू अर्थात् **विश्वसनीयता** का संदर्भ स्वीकार्यता, व्यवहार्यता और विश्वस्तता पर जनता के प्रत्यक्ष ज्ञान को शामिल करने से है । रा.सां.आ. से यह आशा है कि वह विकेन्द्रीकृत भारतीय सरकारी सांख्यिकीय प्रणाली के नवीकरण में एक मार्गदर्शी एवं सुधारात्मक भूमिका निभाए । आयोग को आने वाले दिनों में पूर्ववर्ती कार्यों को करने के लिए अपने अल्प और दीर्घ-अवधि कार्यक्रम बनाने हैं ।

नीति निर्माण और रणनीति निर्माण में भूमिका

आयोग से आशा है कि वह राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रणाली के लिए सांख्यिकीय प्राथमिकताएं निर्धारित करे और एक नीतिगत ढांचा तैयार करे । इस नीति में सूचना प्रौद्योगिकी एवं आंकड़ा प्रसार रणनीति को शामिल करते हुए, सांख्यिकी के विकास के लिए राष्ट्रीय रणनीति, सांख्यिकी में मानव संसाधन विकास के लिए रणनीति जैसे क्षेत्र सम्मिलित होंगे । रा.सां.आ. से यह भी आशा है कि वह रणनीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपायों की सिफारिश करें । अन्य मुख्य क्षेत्र राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग के लिए एक संविधिक आधार के उपबंध को शामिल करते हुए सांख्यिकीय मामलों पर विधायी उपायों की आवश्यकता पर सरकार को सलाह देने से संबंधित है ।

सक्रिय उत्तरदायित्वों के क्षेत्र

आयोग को सौंपी गई अति-महत्वपूर्ण जिम्मेदारी कोर सांख्यिकी के क्षेत्र में है । सरकारी सांख्यिकी के वे क्षेत्र जिन्हें अर्थव्यवस्था के कार्यकरण के लिए कोर अथवा अति महत्वपूर्ण माना गया है, कोर सांख्यिकी की श्रेणी में आयेंगे । आयोग से केवल यही अपेक्षित नहीं है कि वह कोर सांख्यिकी की पहचान करे बल्कि सांख्यिकी के विभिन्न क्षेत्रों में मानक सांख्यिकीय अवधारणाओं, परिभाषाओं, वर्गीकरणों और रीतिविधानों का भी विकास करें और कोर सांख्यिकी संबंधी राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों को निर्धारित करें । आयोग से यह भी अपेक्षित है कि वह कोर सांख्यिकी में शामिल किए गए विविध आंकड़ा सेटों के लिए कैलेण्डर जारी करने सहित कोर सांख्यिकी के संग्रहण, सारणीयन और प्रसार के लिए राष्ट्रीय रणनीतियों को निर्धारित करें ।

दो अन्य क्षेत्रों (जहां आयोग उत्तरदायित्व संभालेगा) वे विद्यमान संस्थागत तंत्र के सुदृढ़ीकरण सहित सरकारी सांख्यिकी में लोक विश्वास बढ़ाने तथा सांख्यिकीय कार्यकलापों के बारे में राज्य सरकारों तथा संघ शासित प्रशासनों के साथ प्रभावी समन्वयन हेतु प्रत्यक्षतः उपाय विकसित करना है । सरकारी सांख्यिकी में लोक विश्वास बढ़ाने के लिए समर्थन कार्यकलापों में भी आयोग संलग्न रहेगा ।

पर्यवेक्षणीय कार्य

आयोग को सौंपे गए पर्यवेक्षणीय कार्यों में शामिल हैं- केन्द्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों और अन्य अभिकरणों के बीच सांख्यिकीय कार्यकलापों के समन्वयन के लिए तंत्र तैयार करना; सांख्यिकीय उत्पादों की गुणवत्ता एवं सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने के लिए सांख्यिकीय कार्यकलापों की सांख्यिकीय लेखा-परीक्षा करना; निर्धारित की गई नीतियों, मानकों और रीतिविधानों के मद्देनजर सांख्यिकीय प्रणाली कार्यों की संवीक्षा तथा निगरानी करना और कार्य निष्पादन बढ़ाने के लिए उपायों की सिफारिश करना ।

आयोग को प्रदान की गई शक्तियां

आयोग को अपना कार्य प्रभावी तथा दक्षतापूर्ण रूप से करने के लिए आवश्यक स्वायत्तता दी गई है । इससे भारतीय सांख्यिकीय प्रणाली तंत्र के क्षेत्र में एक बड़ा परिवर्तन हुआ है और उसकी प्रमाणिकता तथा निष्पक्षता के बारे में आंकड़ा प्रयोक्ताओं का विश्वास बढ़ाने के लिए सरकारी सांख्यिकीय प्रणाली के साथ सरकार का घनिष्ठ संबंध बनाने के लिए रास्ता तैयार हुआ है । इस संदर्भ में, इसे विशेष रूप से (i) किसी दस्तावेज जिससे सांख्यिकीय प्रयोजन पूरे होते हों को पेश करवाने,, (ii) सांख्यिकीय अभिकरणों और संस्थाओं से कोर सांख्यिकी के संबंध में सभी ब्यौरे उपलब्ध करवाने, (iii) कोर सांख्यिकी से जुड़े मामलों के संबंध में किसी व्यक्ति को उपस्थित करवाना, (iv) कोर सांख्यिकी से जुड़े मामलों के संबंध में गवाहों और दस्तावेजों की जांच-पड़ताल करने के लिए नोटिस जारी करने, की शक्तियां प्रदान की गयी हैं ।

VI आयोग की बैठकों के विवरण

4.1 आयोग ने जुलाई, 2006 से मार्च, 2007 के दौरान 9 बैठकें आयोजित कीं । इन बैठकों में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई तथा जो सिफारिशें की गईं वे संक्षेप में नीचे दी गई हैं ।

बैठक क्रमांक	बैठक की तारीख
1	12 जुलाई, 2006
2	25 जुलाई, 2006
3	23 अगस्त, 2006
4	11 सितंबर, 2006
5	09 नवंबर, 2006
6	29 नवंबर, 2006
7	21 दिसंबर, 2006
8	01 फरवरी, 2007
9	26 मार्च, 2007

4.2 मुख्य निर्णय तथा सिफारिशें

4.2.1 राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन की शासी परिषद की स्थिति : राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन(एनएसएसओ) जिसके कार्यकलापों की देखरेख भारत सरकार द्वारा गठित एक स्वायत्त शासी परिषद द्वारा की जा रही है, आयोग ने अपनी पहली बैठक में उन पर चर्चा की । आयोग ने यह सिफारिश की किः

(क) क्योंकि राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग अपेक्षित स्वायत्तता सहित एक स्वतंत्र व्यावसायिक निकाय के रूप में अस्तित्व में आया था और उसे सरकार के संकल्प के अनुसार अपेक्षित प्राधिकार था और एनएसएसओ को इसके अंतर्गत लाया गया है, अतः वर्तमान स्वरूप में एनएसएसओ की शासी परिषद की आवश्यकता नहीं होगी । यह निर्णय लिया गया था कि एनएससी एक वैकल्पिक तंत्र के माध्यम से शासी परिषद के कार्यों को पूरा करेगा ।

(ख) एनएसएसओ की शासी परिषद द्वारा पूर्व में किए जा रहे कार्यों को हस्तगत करने हेतु एक संचालन समिति बनाई जाएगी जो आयोग के प्रति उत्तरदायी होगी ।

(ग) विशिष्ट मुद्दों के लिए बनाए गए मौजूदा कार्यदल तथा उपदल तथा शासी परिषद द्वारा एनएसएस दौरे जारी रहेंगे तथा वे उन्हें सौंपे गए कार्यों को पूरा करेंगे । ये संचालन समिति को रिपोर्ट करेंगे । आयोग की उपर्युक्त सिफारिशों को स्वीकार करते हुए, केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने एनएसएसओ की शासी परिषद को भंग करने का निर्णय लिया । आयोग ने अपनी तीसरी बैठक में निर्णय लिया कि एनएसएसओ के लिए एक संचालन समिति का गठन किया जाए ।

4.2.2 राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षणों हेतु एक संचालन समिति का गठन : आयोग ने निम्नानुसार संचालन समिति का गठन करने का निर्णय लिया ।

अध्यक्ष तथा सह-अध्यक्ष

i. प्रो.सुरेश डी.तेंदुलकर, अध्यक्ष, एनएससी, संचालन समिति के अध्यक्ष होंगे ।
ii. प्रो. अमिताभ कुंदु, सदस्य, एनएससी, समिति के सह-अध्यक्ष होंगे ।

(आयोग के अन्य सदस्य, जब कभी आवश्यक हो, संचालन समिति की बैठकों में भाग ले सकते हैं)

गैर-सरकारी सदस्य

iii. डॉ. एस.राधाकृष्ण, निदेशक, आईजीआईडीआर
iv. प्रो.एस.पी.मुखर्जी, सेवानिवृत्त सांख्यिकी-प्रोफेसर, कलकत्ता विश्वविद्यालय ।
v. प्रो. के. सुन्दरम्, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ।

vi. डॉ. शुभाशीष गंगोपाध्याय, इंडिया डेवलपमेंट फोरम ।

vii. प्रो. दिपांकर कुंडू, सेवानिवृत्त अर्थशास्त्र-प्रोफेसर, आईएसआई कोलकाता ।

viii. प्रो.टी.जे.राव, सेवानिवृत्त सांख्यिकी-प्रोफेसर, आईएसआई, कोलकाता ।

सरकारी सदस्य

(i) महानिदेशक, एनएसएसओ - संयोजक

(ii) महानिदेशक, सीएसओ

(iii) एनएसएसओ के क्षेत्र संकार्य प्रभाग, समंक विधायन प्रभाग और सर्वेक्षण अभिकल्प तथा अनुसंधान प्रभाग, प्रत्येक के अपर महानिदेशक ।

(iv) सचिव, योजना आयोग द्वारा नामित किए जाने वाले योजना आयोग के एक प्रतिनिधि ।

(v) राज्य सरकारों से दो प्रतिनिधि चक्रानुक्रमानुसार दो वर्ष प्रत्येक की अवधि के लिए ।

संचालन समिति के विचारार्थ विषय

क. निम्नलिखित के संबंध में, राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग को सिफारिशें करना

(i) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के लिए सर्वेक्षणों के विषयों, अवधि, तथा शामिल किए जाने वाले विषयों सहित अल्पकालीन और दीर्घकालीन कार्यक्रम ।

(ii) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षणों के आयोजन में कार्यप्रणालीगत सुधार ।

ख. प्रतिदर्श सर्वेक्षणों के विशिष्ट दौरों के संबंध में प्रतिदर्श अभिकल्प, अवधारणाओं तथा परिभाषाओं, प्रश्नावलियों, सारणीयन योजनाओं आदि को अंतिम रूप देना ।

ग. सर्वेक्षण कार्यप्रणाली, आंकड़ा संग्रहण, संसाधन और प्रचार-प्रसार में सुधार हेतु अध्ययन तैयार करना तथा कोई अन्य मुद्दा जो आयोग द्वारा उसे सौंपा गया हो ।

घ. जारी करने हेतु सर्वेक्षण रिपोर्टों का अनुमोदन करना ।

ड. संचालन समिति किसी विशिष्ट तकनीकी मुद्दे के संबंध में विशेषज्ञ समूह का गठन कर सकती है जिसमें संचालन समिति की कोर सक्षमता से परे विशेषज्ञता की आवश्यकता हो ।

संचालन समिति का कार्यकाल तीन वर्ष होगा ।

4.2.3 राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के इकाई स्तर के आंकड़ों की आपूर्ति

(क) "भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति" संबंधी प्रधानमंत्री की उच्च स्तरीय समिति ने, 61वें दौर के इकाई स्तर के आंकड़ें औपचारिक रूप से जारी किए जाने से पूर्व उन्हें समिति को उपलबध करवाने के अनुरोध पर आयोग ने विचार किया । इस मामले की तात्कालिकता और महत्व पर विचार करते हुए आयोग ने यह सिफारिश की कि एनएसएस के 61वें दौर से इकाई स्तर के आंकड़े उच्च स्तरीय समिति को उन शर्तों पर उपलब्ध करवाए जाएंगे जिनमें आंकड़ों के आदान-प्रदान, आंकड़ों की गोपनीयता तथा उनके अनंतिम स्वरूप से संबंधित क्षेत्र शामिल होंगे ।

(ख) आयोग ने कुछ बैठकों में, उपभोक्ता व्यय तथा रोजगार-बेरोजगारी संबंधी एनएसएस के 61वें दौर के परिणामों की उपलब्धता के बारे में विचार-विमर्श किया । इस बात पर चिंता व्यक्त की गई कि इस सर्वेक्षण के निष्कर्षों में राष्ट्रीय हित को देखते हुए, परिणामों को पहले जारी क्यों नहीं किया जा सका । इस तथ्य को देखते हुए कि आंकड़ों के प्रचार-प्रसार का मार्गदर्शन, वर्ष 1999 में तैयार की गई, राष्ट्रीय आंकड़ा प्रचार-प्रसार नीति द्वारा किया गया था, आयोग का यह विचार था कि राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग संबंधी प्रस्तावित सांख्यिकी कानून और सांख्यिकीय प्रणाली के अन्य पहलुओं में, आंकड़ा प्रचार-प्रसार पहलू भी शामिल करना चाहिए ।

4.2.4 सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम तथा सांख्यिकी संग्रहण विधेयक, 2007

आयोग ने चौथी और पांचवीं बैठक में विधेयक के संबंध में विस्तृत चर्चा की थी । विशेष रूप से सूचना के प्रकटन तथा सांख्यिकी अधिकारियों की शक्ति से संबंधित प्रावधानों के संबंध में । आयोग ने इस बात पर भी गौर किया कि सांख्यिकी संग्रहण विधेयक निर्णायक दौर में है तथा राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग के संबंध में विधेयक का प्रारूप नए सिरे से तैयार किया जाना है । आयोग ने सिफारिश की कि दोनों विधेयकों में समरूपता होनी चाहिए ताकि आंकड़ा संग्रहण तंत्र तथा सांख्यिकीय प्रणाली को सुदृढ़ किया जा सके । ये दोनों कानून अलग-अलग लाए जाने हैं । आयोग ने यह भी इच्छा व्यक्त की कि अमेरिकी सर्वेक्षणों में प्रतिष्ठानों और परिवारों संबंधी प्रवर्तन-उपबंधों की तुलना, प्रस्तावित विधेयक में आंकड़ा-संग्रहणकारी अभिकरणों के कर्त्तव्यों और उत्तरदायित्वों को ध्यान में रखते हुए दण्ड-प्रावधानों से की जानी चाहिए । आयोग ने सुझावों/चिंताओं के संबंध में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की टिप्पणियों पर गौर करने के पश्चात्, मंत्रालय का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तथा सिफारिश की कि सहमत हुए सुझावों को शामिल करने के पश्चात् मंत्रालय संसद में विधेयक को प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक कदम उठाए ।

4.2.5 मंत्रालय के सांख्यिकी स्कंध के अंतर्गत विभिन्न कार्यदलों, स्थायी समितियों, कार्यबलों, विशेषज्ञ समितियों की स्थिति

आयोग ने सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सांख्यिकी स्कंध के अंतर्गत विभिन्न तकनीकी समूहों/कार्यबलों और समितियों की स्थिति की समीक्षा की ।

औद्योगिक सांख्यिकी संबंधी स्थायी समिति का गठन : आयोग ने एससीआईएस को पुनर्गठित करने का निर्णय किया जिस के अध्यक्ष प्रो.विश्वनाथ गोल्डर, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ होंगे । प्रो.गोल्डर के अतिरिक्त, एससीआईएस में गैर सरकारी विशेषज्ञ सदस्यों के रूप में श्री आर.नागराज और डॉ. एस.एल.शेट्टी होंगे । एससीआईएस के सरकारी सदस्य, पुनर्गठित एससीआइएस में यथावत् बने रहेंगे । डॉ.एस.के.नाथ और डॉ. एन.एस.शास्त्री की अध्यक्षता वाली एससीआईएस की दो उप समितियां, अपनी सिफारिशें एससीआईएस को प्रस्तुत करने तक बनी रहेंगी । इसके अतिरिक्त यह निर्णय लिया गया था कि प्रो.सी.पी.चंद्रशेखर की अध्यक्षता में सेवा-उत्पादन के सूचकांक हेतु तकनीकी सलाहकार समिति, एससीआईएस के नियंत्रण से मुक्त रहते हुए स्वतंत्र रूप से कार्य करेगी ।

राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी संबंधी सलाहकार समिति : आयोग ने अपनी 9वीं बैठक में राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी संबंधी सलाहकार समिति को पुनर्गठित किए जाने का निर्णय लिया । यह प्रस्ताव किया गया कि प्रो. के.सुंदरम इसके अध्यक्ष होंगे तथा इसमें निम्नलिखित गैर-सरकारी सदस्य होंगे ।

i. प्रो.बी.बी.भट्टाचार्य, उप कुलपति, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय
ii. डॉ.एस.एल.शेट्टी, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली रिसर्च फाउंडेशन
iii. प्रो.आशिमा गोयल, इंदिरा इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट रिसर्च
iv. प्रो.संघमित्र दास, भारतीय सांख्यिकीय संस्थान
v. श्री आर.पी.कत्याल
vi. श्री प्रताप नारायण
vii. श्री नरेश कुमार

रा.प्र.सर्वे. के 64वें दौर हेतु कार्यसमूह का गठन : रा.प्र.सर्वे.सं. की शासी परिषद ने रा.प्र.सवे. के 64वें दौर के अध्यक्ष के रूप में दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रो.के.सुंदरम के नाम की सिफारिश की थी । तथापि, रा.प्र.सर्वे.सं. की शासी परिषद पूर्णरूपेण कार्यसमूह का गठन नहीं कर सकी । आयोग ने अध्यक्ष के अतिरिक्त कार्यसमूह में निम्नलिखित गैर-सरकारी सदस्यों को शामिल करने की सिफारिश की ।

i. प्रो.टी.सी.ए.अनंत, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स
ii. प्रो.जे.बी.जी.तिलक, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना तथा प्रशासन संस्थान

iii. प्रो.समीर गुहा रॉय, पूर्व-प्रोफेसर, जनसंख्या अध्ययन एकक, आईएसआई, कोलकाता

iv. प्रो.मारी भट्ट, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज, मुंबई (प्रो.मारी भट, जिन्होंने कार्य समूह को बहुमूल्य योगदान दिया, 30 जुलाई, 2007 को दिवंगत हो गए) ।

4.2.6 केन्द्रीय मंत्रालयों तथा राज्यों में सांख्यिकीय सलाहकारों की भूमिका :

संवर्ग समीक्षा के परिणामस्वरूप, आयोग ने मंत्रालयों/विभागों में तैनात वरिष्ठ आईएसएस अधिकारियों को मंत्रालय/विभाग से संबंधित सभी सांख्यिकीय मामलों तथा कार्यों के संबंध में नोडल अधिकारियों के रूप में पदनामित किए जाने के प्रस्ताव पर विचार किया । आयोग ने यह सिफारिश की कि सभी कोर सांख्यिकी के संबंध में ये सांख्यिकीय सलाहकार, भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् (सीएसआई) के प्रति उत्तरदायी होंगे । इसके अतिरिक्त संबंधित मंत्रालय/विभाग में सांख्यिकीय सलाहकारों हेतु रिपोर्ट करने की प्रक्रिया उस मंत्रालय/विभाग पर छोड़ी जा सकती है । प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग में अपने कार्य के अलावा(अतिरिक्त) वे स्थूल रूप से निम्नलिखित समन्वय कार्य भी करेंगे:-

(i) सांख्यिकी मामलों पर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग द्वारा उल्लिखित/जारी किए गए दिशा-निर्देशों के क्रियान्वयन में भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् के साथ समन्वय ।

(ii) सांख्यिकी हेतु नोडल मंत्रालय के रूप में सूचना/आंकड़े/सांख्यिकी उपलब्ध करना, जैसाकि सांख्यिकी मंत्रालय को आवश्यक हो ।

(iii) कोर सांख्यिकी के मामलों में भारत के प्रधान सांख्यिकीविद् के प्रति उत्तरदायी होंगे और राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग द्वारा 'कोर सांख्यिकी' के संबंध में जारी किए गए सभी दिशा-निर्देशों का क्रियान्वयन ।

(iv) सर्वेक्षणों अथवा अन्य सैद्धांतिक पद्धतियों के माध्यम से अधिक सूचना/आंकड़ों हेतु मांग के संबंध में भारत के मुख्य साख्यिकीविद् को सूचित करना ।

(v) केन्द्र एवं राज्यों के बीच सूचना के आदान-प्रदान पर परामर्श देना तथा निगरानी रखना तथा दोहरीकरण से बचना ।

(vi) मंत्रालय/विभाग के सांख्यिकीय कार्मिकों से संबंधित मानव संसाधन विकास संबंधी मुद्दों में भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् को परामर्श देना ।

"वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड" एवं निदेशक के स्तर पर विभिन्न राज्यों में तैनात भा.सां.से. अधिकारी निम्नलिखित कार्य करेंगे :

- राज्य में "कोर सांख्यिकी" से संबंधित सर्वेक्षणों के आयोजन के संबंध में परामर्श देना एवं निगरानी रखना ।
- सांख्यिकीय मामलों के संबंध में केन्द्र एवं राज्य के बीच सूचना के आदान-प्रदान का समन्वय करना एवं सूचना का प्रवाह ।

- राज्य को एनएससी की सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करना ।
- केन्द्रीय एवं राज्य सांख्यिकीय संगठनों के सम्मेलनों में लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करना ।
- अधीनस्थ केन्द्रीय/राज्य सांख्यिकीय अधिकारियों/राज्य में सांख्यिकीय कर्मचारियों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं का मूल्यांकन करना तथा परामर्श देना ।
- कोर सांख्यिकी एवं राज्य सरकारों से प्राप्त अन्य आंकड़ों दोनों के संबंध में सरकारी सांख्यिकी के बारे में गुणवत्ता मानकों के संबंध में भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् एवं राज्य के राज्य सांख्यिकीय ब्यूरो(एसएसबी) के बीच समन्वय स्थापित करना ।

आयोग ने सिफारिश की कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय उपयुक्त प्रशासनिक उपाय कर सकता है ताकि उपयुक्त प्रशासनिक उपायों के माध्यम से सांख्यिकीय परामर्शदाताओं का समन्वय करने और उनकी नोडल भूमिका को संस्थागत रूप दिया जा सके ।

4.2.7 आयोग के सदस्यों के बीच विषयों का आवंटन :

आयोग ने अपनी चौथी बैठक में निर्णय लिया कि अध्यक्ष एवं सदस्यों के बीच विषयों का आवंटन निम्नानुसार होगा :

अध्यक्ष

राष्ट्रीय लेखा
श्रम बल सर्वेक्षण एवं श्रम सांख्यिकी
जीवन निर्वाह का स्तर एवं गरीबी
राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण
सांख्यिकीय समन्वय : राज्यों के साथ समन्वय, अन्य मंत्रालयों के साथ समन्वय
समस्त अनावंटित विषय

सदस्य (सुरजीत भल्ला)

मूल्य एवं मजूरी सांख्यिकी
सेवा क्षेत्र सांख्यिकी
सांख्यिकीय कानून : सांख्यिकी अधिनियम का संग्रहण, एनएससी सलाहकारी स्कंध हेतु कानून

सदस्य (अमिताभ कुंडु)

औद्योगिक सांख्यिकी
पर्यावरण सांख्यिकी, प्राकृतिक संसाधन लेखांकन शिक्षा
लिंग, विकलांगता आदि सहित अन्य सामाजिक सांख्यिकी
शहरी विकास, आवास, आधारभूत ढांचा आदि

सदस्य (पदम सिंह)

कृषि संबंधी सांख्यि
स्वास्थ्य
जनसांख्यिकी एवं जनसंख्या आदि
जनगणना एवं सर्वेक्षण

सदस्य (बिकास सिन्हा)

मानव संसाधन विकास : प्रशिक्षण एवं सांख्यिकीय जनशक्ति योजना
आंकड़ा प्रसार नीति
सांख्यिकीय संसाधन एवं सुपुर्दगी में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग
सरकारी सांख्यिकी में अनुसंधान कार्यप्रणाली का विकास एंवं उपयोग

4.2.8 कोर सांख्यिकी की पहचान :

आयोग ने अपनी चौथी बैठक में कोर सांख्यिकी के संबंध में सचिवालय द्वारा तैयार किए गए दस्तावेज पर चर्चा की तथा निर्णय लिया कि कोर सांख्यिकी में मदों की पहचान करने से पहले संबंधित विषयों के प्रभारी सदस्यों तथा बाद में सीओसीएसएसओ की बैठक में विस्तृत परामर्श करेंगे ताकि कोर सांख्यिकी श्रेणी के अंतर्गत आने वाली मदों की पहचान की जा सके ।

4.2.9 प्रधानमंत्री के साथ बैठक के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई - आयोग के कार्य में भा.सां.सं. को सम्मिलित करना :

माननीय प्रधानमंत्री ने आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के साथ अपनी बैठक के दौरान इच्छा व्यक्त की थी कि भारतीय सांख्यिकीय संस्थान को आयोग के कार्य के साथ घनिष्ठ रूप से संबद्ध होना चाहिए । इस संदर्भ में आयोग ने निदेशक भा.सां.सं. कोलकाता द्वारा भेजे गए उत्तर की प्रशंसा की जिसमें सांख्यिकी तथा अर्थशास्त्र में सरकार को अनुसंधान तथा परामर्शदात्री सहायता संबंधी वचनबद्धता प्रदान करने के लिए अपनी विशेषज्ञता प्रदान करने की पेशकश की गयी थी । इस बात पर विचार करते हुए कि भा.सां.सं. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित संस्थान है, यह सहमति हुई कि उपयुक्त मुद्दे भा.सां.सं. भेजे जाएं ।

4.2.10 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सांख्यिकी स्कंध से संबंधित 11वीं पंचवर्षीय योजना हेतु प्रस्ताव :

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सांख्यिकी स्कंध के योजना प्रस्तावों की आयोग ने समीक्षा की । आयोग ने मंत्रालय द्वारा तैयार छः विभिन्न् योजनाओं पर विचार किया । आयोग ने कुछ योजनाओं के युक्तिकरण की सिफारिश की तथा विश्व बैंक द्वारा सहायता प्रदान की गई भारत सांख्यिकीय सुदृढ़ीकरण परियोजना (आईआईएसपी) के चरण-II को राज्य सांख्यिकीय ब्यूरो को सुदृढ़ करने तक सीमित कर दिया ।

4.2.11 चेन्नई में भा.सां.सं. की स्थापना : चेन्नई में भारतीय सांख्यिकीय संस्थान की स्थापना के लिए माननीय प्रधानमंत्री को तमिलनाडु सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने आयोग के विचार मांगे हैं । आयोग का यह मत था कि आरंभ में भा.सां.सं. के दिल्ली एवं बैंगलोर केंद्रों के माडल पर भा.सां.सं. केंद्र का गठन किया जा सकता है ।

4.2.12 एनएससी के लिए संवैधानिक संरचना : आयोग ने अपनी बैठकों में इस मुद्दे पर चर्चा की । यह सहमति बनी कि इसके लिए व्यापक विमर्श की आवश्यकता है तथा एक मसौदा विधेयक तैयार किया जाए तथा विभिन्न दावा धारकों से टिप्पणियां प्राप्त की जाएं ।

4.2.13 आधारभूत ढांचे पर आधारित आंकड़े : योजना आयोग ने आधारभूत ढांचे पर आधारित आंकड़ों के संकलन की ओर आयोग का ध्यान आकर्षित किया था । आधारभूत ढांचे के आधार पर आंकड़ों संबंधी दस्तावेज को संकलित करने के लिए नोडल अभिकरण के रूप में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की पहचान की गई थी । यह सिफारिश की गई थी कि डॉ.रंगराजन आयोग द्वारा अनुशंसित मापदंडों को ध्यान में रखते हुए आधारभूत ढांचे पर आधारित आंकड़ों संबंधी प्रस्तावित दस्तावेज की विषय-वस्तु एवं कवरेज की पहचान करने तथा उपलब्ध सांख्यिकी को संकलित करने के लिए के.सां.सं.के नेतृत्व में आधारभूत ढांचा क्षेत्र से संबंधित मंत्रालयों/विभागों के अधिकारियों का एक समूह गठित किया जाए । इसके अलावा इस पर डॉ.सुरजीत भल्ला, सदस्य, एनएससी के मार्गदर्शन में कार्य किया जाएगा ।

4.3 परामर्श/प्रस्तुतीकरण

वर्ष के दौरान आयोग के सदस्यों ने महत्वपूर्ण मंत्रालयों एवं संगठनों से परामर्श किया तथा संगठनों को प्रस्तुतीकरण देने का निमंत्रण दिया । परामर्शों एवं प्रस्तुतीकरण के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

क्र.सं.	संगठन	विषय	दिनांक
1.	भारत का महारजिस्ट्रार	जनगणना, जनसांख्यिकी	4-10-06
2.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी आंकड़े	7-11-06
3.	राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के समंक	राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण	7-10-06

	विधायन प्रभाग के वरिष्ठ अधिकारी	संगठन आंकड़ों के संसाधन से संबंधित मुद्दे	
4.	कृषि मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक	कृषि संबंधी आंकड़े	20-11-06
5.	उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय तथा श्रम ब्यूरो तथा के.सां.सं. के अधिकारियों के साथ बैठक	मूल्य सूचकांक	20-2-07 एवं 26-3-07
6.	केन्द्रीय मंत्रालयों में तैनात सांख्यिकीय सलाहकारों की बैठक	सांख्यिकीय सलाहकारों की भूमिका एवं कार्य	9-3-07
7.	केन्द्रीय एवं राज्य सांख्यिकीय संगठनों का सम्मेलन (सीओसीएसएसओ)	केन्द्रीय एवं राज्य सांख्यिकीय संगठनों की वार्षिक बैठक	11-2-07 एवं 12-2-07

V वर्ष 2006-07 के लिए बजट

चूंकि आयोग जुलाई, 2006 में अस्तित्व में आया था अतः वर्ष 2006-07 के लिए कोई बजट आवंटित नहीं किया गया था । हालांकि संशोधित अनुमानों में 65.45 लाख रू. के बजटीय प्रावधान की व्यवस्था की गई थी । इसमें से आयोग ने सचिवालय चलाने, अध्यक्ष एवं सदस्यों की घरेलू यात्रा तथा कार्यालय उपकरण खरीदने में 35.81 लाख रू. का व्यय किया है ।

Acronyms used

ACNAS	**Advisory Committee on National Accounts**
CSO	**Central Statistical Office**
CSI	**Chief Statistician of India**
IT	**Information Technology**
ISI	**Indian Statistical institute**
MoS&PI	**Ministry of Statistics and Programme Implementation**
NSSO	**National Sample Survey Office**
NSC	**National Statistical Commission**
NSO	**National Statistical Organisation**
NAS	**National Accounts Statistics**
NAD	**National Accounts Division**
SCIS	**Standing Committee on Industrial Statistics**

INTRODUCTION

The National Statistical Commission came into existence on 12th July 2006 with the Chairman and Members assuming charge. This report, the first annual report of the Commission, is prepared in pursuance of Paragraph 12 of the Government resolution **No. A-11011/1/2005-Ad.I dated 1st June 2005**, which states "the Commission shall prepare, for each financial year, its Annual Report, giving a full account of its activities during the financial year and forward the same to the Central Government".

The Commission since its inception has been holding meetings regularly to deliberate on the issues referred to it and on various issues covered under its mandate. Besides Commission meetings, consultations and in-depth meetings were also held with various Departments and Organisations on issues relating to the national statistical system.

Dr. Ramesh Chandra Panda, Secretary in the Ministry of Statistics and Programme Implementation functioned as the *ex-officio* Member Secretary of the Commission till 20th February 2007 after which Dr Pronab Sen took over as the Chief Statistician of India and Secretary to the Commission.

I. Background and Constitution of the Statistical Commission

1. Constitution of the Statistical Commission

The Government of India had set up a National Statistical Commission under the Chairmanship of Dr C Rangarajan, then Governor of Andhra Pradesh in January 2000 to review the official statistical system of the country. The Commission submitted its recommendations in August 2001 and had *inter alia* recommended the establishment of a statutory National Commission on Statistics to serve as a nodal and empowered body for all core statistical activities of the country and to evolve, monitor and enforce statistical priorities and standards and ensure statistical co-ordination. The Rangarajan Commission had also recommended that the Commission be set up initially through a Government order with a modicum of authority to evolve legislation taking into account the ground realities and the emerging requirements when it starts to function. In line with the above recommendations, the National Statistical Commission (NSC) was set up *vide* Government resolution **No. A-11011/1/2005-Ad.In on 1st June 2005.** Copy of the resolution is at **Annex.-I**.

II. Composition of the Commission

2.1 The Commission consists of a part-time Chairman and four part-time Members. Secretary, Planning Commission is an *ex-officio* member of the Commission and the Chief Statistician of India is the Secretary to the Commission. The National Statistical Commission Secretariat is supported by an officer of the Indian Statistical Service in the Senior Administrative Grade.

The Government order setting up the Commission and the service conditions of the Chairman and Members are given in **Annex.-II**.

2.2 Selection of Chairman and Members of the Commission and the Chief Statistician of India:

The Chairman, Members and Secretary of the National Statistical Commission (Chief Statistician of India) were selected on the basis of the recommendations of a Search Committee that consisted of:

(i) Dr. Montek Singh Ahluwalia, Deputy Chairman, Planning Commission – Chairperson ;

(ii) Dr. Rakesh Mohan, Deputy Governor, Reserve Bank of India – Member ;

(iii) Dr. Shankar Kumar Pal, Director, Indian Statistical Institute, Kolkata – Member ; and

(iv) Dr. K.L. Krishna, Former Professor, Delhi School of Economics, New Delhi – Member.

The Search Committee finalised its recommendations and accordingly the Government of India appointed the following persons as Chairman and Members vide order No.R-16025/3/2005-NSC dated 3rd July 2006 **Annex.-III.**

(i) Prof. Suresh D Tendulkar, **Chairman**
(ii) Dr. Surjit S. Bhalla, **Member**
(iii) Dr. Amitabh Kundu, **Member**
(iv) Dr. Padam Singh, **Member**
(v) Prof. Bikas Sinha, **Member**

The Commission formally assumed charge on 12th July 2006. Dr Pronab Sen was appointed as Chief Statistician of India and Secretary to the Commission on 21st February 2007

Chairman and Members of the Commission assuming charge on 12th July 2006 in the presence of Dr. C Rangarajan, Chairman, Economic Advisory Council to the Prime Minister

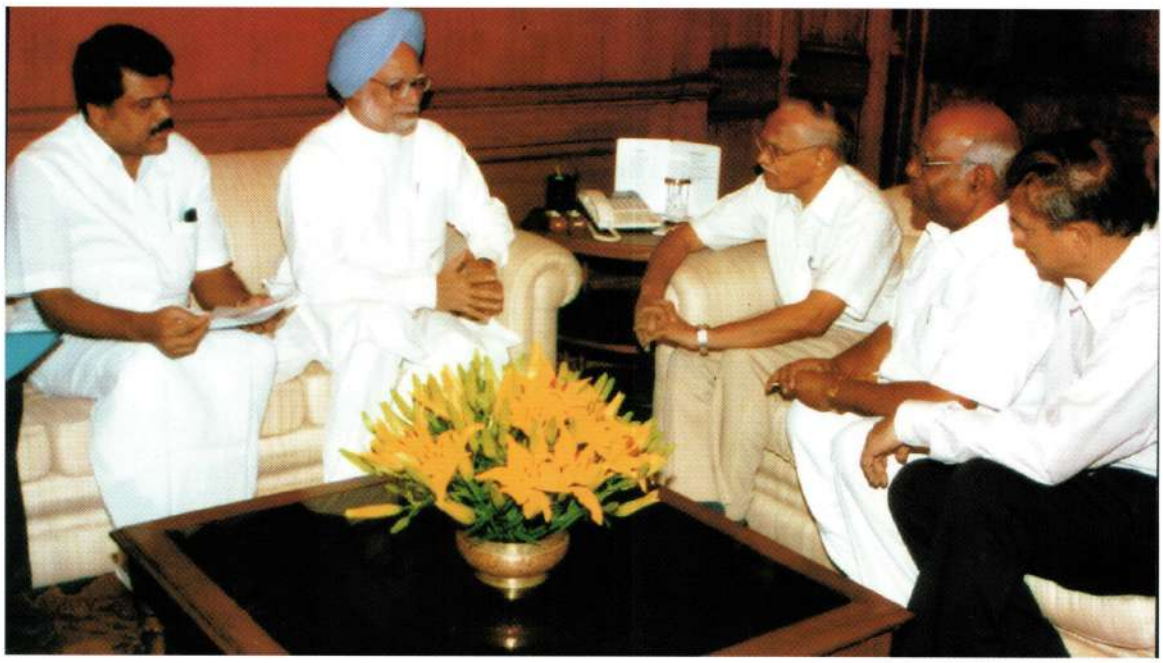

Chairman and Members of the Commission along with Minister of State (Independent charge) for Statistics and Programme Implementation calling on the Prime Minister on 31st July 2006

About the Chairman and Members of the Commission

Prof. Suresh Tendulkar, born in February 1939, did his Masters in Economic Statistics from Delhi School of Economics and took his PhD from Harvard University as a Rockefeller Foundation Scholar. Prof. Tendulkar taught and engaged in research at Indian Statistical Institute, Delhi till 1978 before joining the Delhi School of Economics from where he retired in 2004. He is also a (part time) member of the Prime Minister's Economic Advisory Council. Prof. Tendulkar has written extensively on applied developmental issues relating to the Indian economy and has had a three-decade long association with the Indian statistical system in various capacities. He has also served on several official Committees and Technical Groups including the Fifth Pay Commission.

Dr. Surjit S Bhalla received his PhD from Princeton University in 1976. He is currently heading Oxus Investments Pvt. Ltd. He joined the World Bank after a brief stint with Rand Corporation and Brookings Institution. He was Executive Director of The Policy Group in New Delhi. Later he worked with Goldman Sachs, New York and Deutsche Bank. He has written several books and articles on Globalization, Poverty, Economic Development, Capital Markets, etc.

Prof. Amitabh Kundu did his Masters degree in Economics from Saugar University. He took his PhD from Jawaharlal Nehru University and did post-doctoral research as a Fulbright Scholar at Pennsylvania University, USA. He is currently Professor of Economics at the Center for the Study of Regional Development and Dean, School of Social Sciences at Jawaharlal Nehru University. He has taught in India and abroad and has been the Director of Gujarat Institute of Development Research. His research interest includes Regional Development, Urbanization, Poverty and Development Economics.

Prof. Bikas Sinha was awarded the Masters (1967) and PhD (1972) degrees in Statistics by Calcutta University. Currently, he is a Senior Professor of Statistics at the Indian Statistical Institute, Kolkata. He has travelled extensively with assignments involving teaching/research collaboration/consulting in the USA/Canada/Europe/Asia. He was chosen as UN Expert on Mission for Workshop on Survey Methodology. He is the author and co-author of a large number of research papers dealing with statistical theory and applications.

Dr. Padam Singh did his PhD from Delhi University in Statistics. He is an expert in statistical sampling. He taught at Indian Agricultural Statistical Institute before joining the Planning Commission, as Joint Advisor in 1979.He was Director of the Institute for Research in Medical Statistics from 1987 to 1998. From 1998 to 2004 he was the Additional Director General of the Indian Council for Medical Research. He has published a large number of research papers in the field of sampling and health related issues. Currently he is also heading Research and Evaluation at EPOS Health (India).

Dr Pronab Sen was Principal Adviser in the Planning Commission and headed the Perspective Planning Division and the Statistics and Surveys Division. He did his Masters degree from George Washington University and PhD from Johns Hopkins University, USA. Dr Sen has wide experience in Government and International Organisations and his areas of specialisation include Development Economics, Public Finance and Open Economy Macro-Systems

Dr. Ramesh Chandra Panda, the *ex-officio* Secretary of the Commission till February 2007, belongs to the 1972 batch of the IAS (Tamil Nadu cadre). Dr. Panda has a Doctorate in Economics and has varied experience in the Government of Tamil Nadu and Government of India. He was Secretary in Rural Development and Agriculture Departments in Tamil Nadu. He has wide

experience in the field of Agriculture, Animal Husbandry, Dairying, Sericulture, Forestry, Fisheries, and Drinking Water Supply. Dr. Panda worked in the Ministry of Statistics and Programme Implementation from August 2003 to February, 2007 first as Additional Secretary, then as Special Secretary and finally as Secretary.

III. Terms of reference of the Commission

The Government resolution lists the following as the functions of the Commissions:

(a) to identify the core statistics, which are of national importance and are critical to the development of the economy;
(b) to constitute professional committees or working groups to assist the Commission on various technical issues;
(c) to evolve national policies and priorities relating to the statistical system;
(d) to evolve standard statistical concepts, definitions, classifications and methodologies in different areas in statistics and lay down national quality standards on core statistics;
(e) to evolve national strategies for the collection, tabulation and dissemination of core statistics, including the release calendar for various data sets;
(f) to evolve national strategies for human resource development on official statistics including information technology and communication needs of the statistical system;
(g) to evolve measures for improving public trust in official statistics;
(h) to evolve measures for effective co-ordination with State Governments and Union Territory Administrations on statistical activities including strengthening of existing institutional mechanisms;
(i) to exercise statistical co-ordination between Ministries, Departments and other agencies of the Central Government;
(j) to exercise statistical audit over the statistical activities to ensure quality and integrity of the statistical products;
(k) to recommend to the Central Government, or any State Government, as the case may be, measures to effectively

implement the standards, strategies and other measures evolved under clauses (c) to (h);

(l) to advise the Government on the requirement of legislative measures on statistical matters including the statute for the National Statistical Commission;

(m) to monitor and review the functioning of the statistical system in the light of the laid down policies, standards and methodologies and recommend measures for enhanced performance.

An overview of the functions and responsibilities of the Commission

The setting up of the NSC is the fulfillment of one of the key recommendations of the Dr. Rangarajan Commission. The report of **Rangarajan Commission** clearly brings out the deficiencies in the Indian Statistical System with respect to adequacy, timeliness and credibility. These, in turn, reflect failure to meet the demands and expectations of the Government, academia, the public and the international users of the Statistical System fully recognizing that the expectations depended on the current status and might go up in due course. **Adequacy** refers to the usability of the existing output of the system to meet the demands of government policy, business and the general public. **Timeliness** refers to not only reducing the delay in bringing out official statistics, but also to the responsiveness of the system to meet on time contingent and emerging needs. The third aspect viz. **credibility**, combines public perceptions on acceptability, usability and reliability. The NSC is expected to play a guiding and reforming role in revamping the decentralized Indian official Statistical System. The Commission is to formulate its short and long-term programmes to achieve the foregoing tasks in the coming days.

Policy making and Strategy Formulation Roles

The Commission is expected to set the statistical priorities, and prepare a policy framework for the national statistical system. This policy will encompass areas like National Strategy for Development of Statistics, Strategy for Human Resource Development in Statistics including IT and data dissemination strategy. The NSC is also expected to recommend measures to effectively implement the strategies. Another key area relates to advising the Government on the requirement of legislative measures on statistical matters including the provision of a statutory basis for the National Statistical Commission.

Areas of active responsibility

The most important responsibility assigned to the Commission is in the field of Core Statistics the areas of official statistics that are considered as core or critical to the functioning of the economy would come under the category of core statistics The Commission is not only required to identify the core statistics, but also evolve **standard statistical concepts, definitions, classifications and methodologies in different areas in statistics** and lay down national quality standards on core statistics. The Commission is also required to lay down national strategies for the collection, tabulation and dissemination of core statistics, including the release calendar for various data sets included in core statistics.

Two other areas (where the Commission will assume responsibility) are to directly evolve measures for improving public trust in official statistics and for effective co-ordination with State Governments and Union Territory Administrations on statistical activities including strengthening of existing institutional mechanisms. Improving public trust in official statistics would also involve the Commission in advocacy activities.

Supervisory functions

The supervisory functions assigned to the Commission include: evolving mechanisms for co-ordination of statistical activities between Ministries, Departments and other agencies of the Central Government; exercising statistical audit over statistical activities to ensure quality and integrity of the statistical products; monitoring and reviewing the functioning of the statistical system in the light of laid down policies, standards and methodologies and recommending measures for enhanced performance.

Powers granted to the Commission

The Commission has been given requisite autonomy to discharge its functions effectively and efficiently. This marks a major change in the regime of the Indian statistical system and paves the way for an arms-length relationship of the government with the official statistical system to increase data users' trust with regard to its authenticity and impartiality. In this context, it has been specifically given powers to (i) require production of any document that may serve statistical purposes, (ii) require statistical agencies and institutions to provide all details in respect of core statistics (iii) require the attendance of

any persons on matters connected with core statistics and (iv) to issue notices for the examination of witnesses and documents on matters connected with core statistics.

IV. Details of Commission's meetings

4.1 The Commission held 9 meetings during July 2006 to March 2007. The issues discussed and the recommendations made in these meetings are noted in brief below.

Sl no of Meeting	Date of Meeting
1	**12th July 2006**
2	**25th July 2006**
3	**23rd August 2006**
4	**11th September 2006**
5	**9th November 2006**
6	**29th November 2006**
7	**21st December 2006**
8	**1st February, 2007**
9	**26th March, 2007**

4.2 Key decisions and Recommendations

4.2.1 Status of Governing Council of NSSO: The activities of the National Sample Survey Organisation (NSSO) which were being looked after by an autonomous Governing Council constituted by the Government of India were discussed by the Commission in its first meeting. Commission recommended that:

(a) Since the NSC had come into existence as an independent professional body with requisite autonomy and had the required authority as per the Resolution of the government and NSSO has been brought under its umbrella, the Governing Council of NSSO in the present form would not be needed. It was decided that the NSC will carry out the functions of the Governing Council through an alternative mechanism.

(b) A Steering Committee reporting to the Commission would be formed to take over the functions earlier being performed by the Governing Council of the NSSO.

(c) Existing Working Groups and Sub-groups formed for specific issues and NSS Rounds by the Governing Council would continue and complete the tasks assigned to them. These would be required to report to the Steering Committee.

Accepting the above recommendation of the Commission, the Union Cabinet decided to dissolve the Governing Council of NSSO. The Commission in its third meeting decided to form a Steering Committee for the NSSO.

4.2.2 Constitution of a Steering Committee for National Sample Surveys: The Commission decided on the following composition for the Steering Committee.

Chairman and Co-Chairman

i. Prof. Suresh D Tendulkar, Chairman, NSC will be the Chairman of the Steering Committee
ii. Prof Amitabh Kundu, Member, NSC will be the Co-chairman

(Other Members of the Commission may attend the meetings of the Steering Committee as and when necessary)

Non-Official Members

iii. Dr. S Radhakrishna, Director, IGIDR
iv. Prof S P Mukherjee, Retired Professor of Statistics, Calcutta University
v. Prof. K Sundaram, Delhi School of Economics
vi. Dr. Shubhashis Gangopadhyay, India Development Forum
vii. Prof. Dipankar Coondoo, retired Professor of Economics ISI, Kolkata
viii. Prof. T J Rao, retired Professor of Statistics, ISI, Kolkata,

Official Members

(i) DG, NSSO – Convener
(ii) DG, CSO

(iii) Addl. DGs of Field Operations Division, Data Processing Division and Survey Design and Research Division of NSSO

(iv) Representative of the Planning Commission to be nominated by Secretary, Planning Commission

(v) Two representatives from the State Governments on rotation, each for a term of two years

Terms of Reference for the Steering Committee

a. Make recommendations to the NSC in respect of the following

(i) Short term and long term programme for National Sample Surveys including topics of surveys, periodicity, and subjects to be covered.

(ii) Methodological improvements in the conduct of National Sample Surveys.

b. Finalize the sample design, concepts and definitions, questionnaires, tabulation plans, etc. for specific rounds of Sample Surveys.

c. Prepare studies for improving survey methodology, data collection, processing, and dissemination and any other issue as may be referred to it by the Commission.

d. Approve the survey reports for release.

e. The Steering Committee may constitute Expert Groups for any specific technical issue that requires expertise beyond the core competency of the Steering Committee.

The Steering Committee will have a term of three years.

4.2.3 Supply of Unit Level Data of NSS

(a) The Commission considered the request for unit level data of 61st round to the High Level Committee of the Prime Minister on the 'Social, Economic and Educational Status of the Muslim Community in India', before its formal release to the public. Considering the urgency and importance of the matter

Commission recommended that the unit level data from the 61st round of NSS would be made available to the High Level Committee with conditions which would cover areas concerning data sharing, confidentiality of data and its provisional nature.

(b) Commission deliberated on the availability of the results of the 61st Round of NSS on Consumer expenditure and Employment-Unemployment survey in a few meetings. There was concern as to why the results could not be released earlier in view of the national interest in the findings of this survey. In view of the fact that the data dissemination was guided by the National Data Dissemination Policy framed in 1999, the Commission was of the view that the proposed Statistics Legislation on the National Statistical Commission and other aspects of the Statistical System should also cover the data dissemination aspect.

4.2.4 The Collection of Statistics Act and the Collection of Statistics Bill 2007

The Commission had detailed discussions on the Bill in the fourth and fifth meetings, especially on the provisions regarding the disclosure of information and power of Statistical officers. The Commission also noted that the Collection of Statistics Bill was in an advanced stage and the Bill for the National Statistical Commission was to be drafted afresh. It recommended that while there should be convergence of both the Bills to strengthen the data collection machinery and the statistical system, these two legislations might be moved separately. The Commission also desired that the enforcement provisions in the US surveys on establishments and households should be compared with the penalty provisions *vis-a-vis* the duties and responsibilities of the data collecting agencies in the proposed Bill. The Commission after noting the comments of the Ministry of Statistics and Programme Implementation on the suggestions / concerns accepted the proposals of the Ministry and recommended that the Ministry might take necessary steps for presenting the Bill in parliament, after incorporating the suggestions agreed upon.

4.2.5 Status of various Working Groups, Standing Committees, Task Forces, Expert Committees under the Statistics Wing of the Ministry

The Commission reviewed the status of various technical groups / task forces and Committees under the Statistics Wing of the MoS &PI.

Constitution of the Standing Committee on Industrial Statistics: Commission decided to reconstitute the SCIS with Prof. Biswanath Goldar Professor, Institute of Economic Growth as its Chairman. Besides Prof. Goldar, the SCIS will have Shri R Nagaraj and Dr. S L Shetty as non-official expert members. Official members of the SCIS would continue as at present in the reconstituted SCIS. The two Sub-Committees of the SCIS under the Chairmanship of Dr. S K Nath and Dr. N S Sastry would continue till they submitted their recommendations to the SCIS. Further it was decided that the Technical Advisory Committee for Index of Services Production under the Chairmanship of Prof. C P Chandrasekhar would function independently of the SCIS.

Advisory Committee on National Accounts Statistics: The reconstitution of the Advisory Committee on NAS was decided by the Commission in its 9th meeting. It was proposed that Prof K Sundaram would be the Chairman, with the following as non-official members.

i. Prof B B Bhattacharya, Vice Chancellor, Jawaharlal Nehru University
ii. Dr. S L Shetty, Economic & Political Weekly Research Foundation
iii. Prof Ashima Goyal, Indira Gandhi Institute for Development Research
iv. Prof Sanghamitra Das, Indian Statistical Institute
v. Shri R P Katyal
vi. Shri Pratap Narain
vii. Shri Naresh Kumar

Formation of a Working Group for 64th round of NSS: The Governing Council of NSSO had recommended Prof K Sundaram of Delhi School of Economics as the Chairman of the 64th round of NSS. However the full working group could not be constituted by the Governing Council of NSSO.

The Commission recommended the following non-officials to be included in the Working Group, besides the Chairman.

i. Prof. T C A Anant, Delhi School of Economics
ii. Prof. J B G Tilak, National Institute of Educational Planning and Administration

iii. Prof. Samir Guha Roy, Ex-Professor, Population Studies Unit, ISI, Kolkata

iv. Prof. Mari Bhat International Institute of Population Studies, Mumbai (Prof. Mari Bhat, who made valuable contributions to the Working Group passed away on 30th July, 2007).

4.2.6 Role of Statistical Advisers in Central Ministries and States:

The Commission went into the proposal to designate Senior ISS officers posted in the Ministries/Departments consequent to the Cadre review, as nodal Officers for all statistical matters and functions pertaining to the Ministry/Department. The Commission recommended that these Statistical Advisers would be accountable to the Chief Statistician of India (CSI) on all core statistics. Further the reporting procedure for the Statistical Advisors in the respective Ministries/Department might be left to the Ministry/Department. Broadly they would perform the following coordinating functions besides [in addition to] their work in the Administrative Ministry/Department:

(i) coordinate with Chief Statistician of India (CSI) in the implementation of guidelines outlined/ issued by National Statistical Commission on statistical matters

(ii) provide information/data/statistics as may be needed by the Ministry of Statistics as the nodal Ministry for Statistics;

(iii) be responsible to the CSI in matters of core statistics and implement all the guidelines on 'core statistics' given by the National Statistical Commission

(iv) Inform the CSI on the demands for more information/ data through surveys or other theoretical methods

(v) advise and monitor the sharing of information among Centre and States and avoid duplication

(vi) advise CSI on HRD issues pertaining to statistical personnel of the Ministry/Department

ISS officers posted in different States at the level of 'Senior Administrative Grade' and Director would perform the functions as below.

- Advise and monitor the conduct of surveys on 'core statistics' in the State

- Coordinate the sharing and flow of information between Centre and State on statistical matters
- Ensure follow-up action on the recommendations of NSC to the State
- Ensure follow-up action on the decisions taken in the Conferences of Central and State Statistical Organisations
- Assess and advise on the training needs of statistical personnel in the Sub-ordinate Central/ State Statistical officers/ staff in the State and
- Coordinate between CSI and the State Statistical Bureau (SSB) of the State in respect of quality standards on official statistics in both core statistical and others originating from the State Governments

The Commission recommended that the Ministry of Statistics and Programme Implementation might take suitable steps to institutionalize the coordinating and nodal role of the Statistical Advisers through appropriate administrative measures.

4.2.7 Allocation of subjects among Commission Members:

Commission in its fourth meeting decided that the allocation of subjects among the Chairman and Members would be as follows:

Chairman

National Accounts
Labour Force surveys and Labour Statistics
Level of living and poverty
National Sample Surveys
Statistical Coordination: Coordination with States, Coordination with Other Ministries
All unallocated subjects

Member (Surjit Bhalla)

Price and Wage Statistics
Services Sector Statistics
Statistical legislation: Collection of Statistics Act, Legislation for NSC
Consultancy wing

Member (Amitabh Kundu)

Industrial Statistics
Environment Statistics, Natural Resources Accounting
Education
Other Social Statistics including gender, disability etc
Urban development, housing, infrastructure etc

Member (Padam Singh)

Agricultural Statistics
Health
Demography and Population, etc
Census and Surveys

Member (Bikas Sinha)

Human Resources Development: Training and Statistical Manpower Planning
Data Dissemination Policy
Transparency and data quality certification

Use of IT in Statistical processing and Delivery
Development and application of research methodology in official statistics

4.2.8 Identification of core statistics:

The Commission discussed the paper prepared by the Secretariat on core statistics in its fourth meeting and decided that before the items in core statistics are identified, detailed consultations will be held with different Ministries to identify the items coming under the core statistics category, by the members in charge of the respective subjects and later at the meeting of the COCSSO.

4.2.9 Follow up of the meeting with PM – associating ISI in Commission's work:

The Honourable Prime Minister during his meeting with the Chairman and Members of the Commission had desired that the Indian Statistical Institute should be closely associated with the work of the Commission. In this context the Commission appreciated the reply sent by Director, ISI, Kolkata offering

its expertise for undertaking research and consultancy support to the Government in Statistics and Economics. Considering that ISI is an institution funded by the Ministry of Statistics and Programme Implementation, it was agreed that suitable issues will be referred to the ISI.

4.2.10 Proposals for the 11th Five-Year Plan relating to the Statistics Wing of MoSPI:

The Plan proposals of the Statistics Wing of the Ministry of Statistics and Programme Implementation were reviewed by the Commission. Six different schemes, prepared by the Ministry were considered by the Commission. The Commission recommended the rationalization of some of the schemes and restricted the Tier II of the World Bank aided **India Statistical Strengthening Project (IISP)** to strengthening of the State Statistical Bureaus.

4.2.11 Setting up of an ISI at Chennai: The Ministry of Statistics and Programme Implementation had sought the views of the Commission on the proposal sent by the Government of Tamil Nadu to the Hon'ble Prime Minister for setting up of the Indian Statistical Institute at Chennai. The Commission was of the opinion that to start with, an ISI Center on the model of Delhi and Bangalore Centers of the ISI might be set up.

4.2.12 Statutory framework for the NSC: The issue was discussed by the Commission in its meetings. It was agreed that this would require detailed consultations and a draft Bill might be prepared and comments obtained from various stake holders.

4.2.13 Infrastructure statistics: The Planning Commission had drawn the attention of the Commission to the compilation of infrastructure statistics. The MoS&PI was identified as the nodal agency for compiling the document on infrastructure statistics. It was recommended that a group of Officers drawn from the Ministries/Departments dealing with the Infrastructure sectors might be formed under the leadership of CSO for identifying the content and coverage of the proposed document on infrastructure statistics and compile the available statistics taking account of the criteria recommended by the Dr Rangarajan Commission. Further work on this will be done under the guidance of Dr Surjit Bhalla, Member, NSC.

4.3 Consultations / Presentations

During the year the Commission Members had consultations with important Ministries and Organizations and invited organizations to make presentations. The details of consultations and presentations are noted below:

Sl. No.	Organization	Subject	Date
1	Registrar General of India	Population Census, Demography	4.10.06
2	Senior officers of the Ministry of Health and Family welfare	Health and Family Welfare Statistics	7.11.06
3	Senior Officers of Data processing Division of National Sample Survey Organization	Issues relating to processing of NSSO data	7.10.06
4	Meeting with Officers of the Ministry of Agriculture	Agricultural statistics	20.11.06
5	Meeting with Officers of Ministry of Industry and Commerce and Labour Bureau and CSO	Price indices	20.2.07 & 26.3.07
6	Meeting of the Statistical Advisers posted in Central Ministries	Role and functions of the statistical advisors	9.03.07
7	Conference of Central and State Statistical Organisations (COCSSO)	Annual Meeting of Central and State Statistical Orgnaisations	11.02.07 & 12.02.07

V. Budget for the year 2006-07

Since the Commission came in to existence in July 2006, there was no budget allocation for the year 2006-07. However a budgetary provision of Rs. 65.45 lakhs was provided in the revised estimates. Out of this the Commission has spent Rs.35.81 lakhs for expenses connected with running the Secretariat, domestic travel of the Chairman and Members and for acquiring office equipments.

Annexure I

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 85] नई दिल्ली, बुधवार, जून 1, 2005/ज्येष्ठ 11, 1927
No. 85] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 1, 2005/JYAISTHA 11, 1927

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, दिनांक 1 जून, 2005

देश की सांख्यिकीय प्रणाली की समीक्षा करने के लिए डॉ. सी. रंगराजन की अध्यक्षता में जनवरी, 2000 में सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग ने देश के समस्त कोर सांख्यिकीय कार्यकलापों के लिए एक नोडल एवं शक्तिसंपन्न निकाय के रूप में कार्य करने, सांख्यिकीय प्राथमिकताओं एवं मानकों को विकसित, प्रबोधित एवं लागू करने तथा सांख्यिकीय समन्वय सुनिश्चित करने हेतु एक सांविधिक राष्ट्रीय आयोग के गठन की सिफारिश की । रंगराजन समिति ने यह भी सिफारिश की कि आयोग को शुरू में थोड़े से अधिकार के साथ गठित किया जाए ताकि जब यह कार्य करना शुरू करे तो इसकी उभरती जरूरतों तथा मूल वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए कानून बनाया जा सके । इसके मद्देनज़र यह निर्णय लिया गया कि आयोग को शुरू में सरकारी संकल्प द्वारा गठित किया जाएगा । आशा है सांविधिक आयोग का गठन एक वर्ष की अवधि के भीतर कर लिया जाएगा ।

2. राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग में निम्नलिखित शामिल होंगे --

(क) एक अंशकालिक अध्यक्ष, जो एक प्रख्यात सांख्यिकीविद् अथवा समाजशास्त्री हो/रहा हो, जिन्हें भारत सरकार द्वारा नामित किया जाएगा ।

(ख) चार अंशकालिक सदस्य, निम्नलिखित क्षेत्रों से एक-एक, जिसे भारत सरकार द्वारा नामित किया जाएगा तथा जिन्हें निम्नलिखित में विशेषज्ञता तथा अनुभव हासिल हो -

(i) कृषि, उद्योग, बुनियादी सुविधा, व्यापार अथवा वित्त जैसे क्षेत्रों में आर्थिक सांख्यिकी,

(ii) जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा, श्रम तथा रोजगार अथवा पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में सामाजिक और पर्यावरण सांख्यिकी,

(iii) गणना, सर्वेक्षणों, सांख्यिकीय सूचना प्रणाली अथवा सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सांख्यिकीय प्रचालन, तथा

(iv) राष्ट्रीय लेखा, सांख्यिकीय मॉडलिंग अथवा राज्य सांख्यिकीय प्रणाली

(ग) सचिव, योजना आयोग, पदेन सदस्य के रूप में ।

(घ) सचिव, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत के मुख्य सांख्यिकीविद के कार्यभार ग्रहण करने तक आयोग के पदेन सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। भारत के मुख्य सांख्यिकीविद का पद विशेष रूप से राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय के अध्यक्ष के रूप में सृजित किया गया है जो सांविधिक आयोग का सचिव होगा ।

3. राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग के अध्यक्ष, सदस्य तथा सचिव (भारत के मुख्य सांख्यिकीविद्) को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा विधिवत गठित सर्च कमेटी की सिफारिशों के आधार पर चयनित किया जाएगा । सर्च कमेटी में निम्नलिखित शामिल होंगेः-

(i) योजना आयोग के उपाध्यक्ष - अध्यक्ष

(ii) भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर - सदस्य, तथा

(iii) दो प्रतिष्ठित व्यक्ति जो ख्यातिप्राप्त सांख्यिकीविद अथवा सामाजिक वैज्ञानिक हो सकते हैं और जिन्हें देश की सांख्यिकीय प्रणाली का प्रगाढ़ ज्ञान हो - सदस्य

4. सर्च कमेटी अध्यक्ष के चयन हेतु तीन व्यक्तियों के नाम की सिफारिश भारत सरकार को करेगी और उनमें से किसी एक को अध्यक्ष के रूप में नामित किया जाएगा । सर्च कमेटी 2(ख) तथ 2(घ) की प्रत्येक श्रेणी में से दो व्यक्तियों के नामों जो क्रमशः सदस्य तथा मुख्य सांख्यिकीविद की नियुक्ति पाने के पात्र हों, की भी सिफारिश करेगी और भारत सरकार 2(ख) के अंतर्गत आयोग के सदस्यों के रूप में प्रत्येक श्रेणी से एक सदस्य नामित करेगी तथा मुख्य सांख्यिकीविद नियुक्त करेगी ।

5. अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा । अध्यक्ष का दर्जा राज्यमंत्री के बराबर का तथा सदस्य भारत सरकार के सचिव के समकक्ष होंगे ।

6. राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग निम्नलिखित कार्य करेगाः

(क) कोर सांख्यिकी की पहचान करना जो राष्ट्रीय महत्व की है और अर्थव्यवस्था के विकास के लिए बाधक है ।

(ख) विभिन्न तकनीकी मुद्दों पर आयोग को सहायता देने के लिए व्यावसायिक समितियां अथवा कार्य समूह गठित करना,

(ग) सांख्यिकीय प्रणाली से संबंधित राष्ट्रीय नीतियों और प्राथमिकताओं का विकास करना ,

(घ) सांख्यिकी के विभिन्न क्षेत्रों में मानक सांख्यिकीय अवधारणाओं, परिभाषाओं, वर्गीकरणों तथा रीतिविधानों को विकसित करना और कोर सांख्यिकी संबंधी राष्ट्रीय गुणवत्ता मानक तैयार करना,

(ड.) विभिन्न आंकड़ा सेटों के लिए रिलीज कैलेंडर सहित कोर सांख्यिकी के संग्रहण, सारणीयन और प्रचार-प्रसार के लिए राष्ट्रीय रणनीतियां तैयार करना ।

(च) सांख्यिकीय प्रणाली की सूचना प्रौद्योगिकी और संचार आवश्यकताओं सहित सरकारी सांख्यिकी पर मानव संसाधन विकास के लिए राष्ट्रीय रणनीतियां विकसित करना;

(छ) सरकारी सांख्यिकी में जन विश्वास सुधारने हेतु उपाय विकसित करना;

(ज) मौजूदा संस्थागत तंत्रों के सुदृढ़ीकरण सहित सांख्यिकीय गतिविधियों पर राज्य सरकारों तथा संघ शासित प्रशासनों के साथ प्रभावी समन्वय हेतु उपाय निकालना;

(झ) मंत्रालयों, विभागों तथा केन्द्रीय सरकार के अन्य अभिकरणों के बीच सांख्यिकीय समन्वय सुनिश्चित करना;

(ञ) केन्द्र सरकार, अथवा कोई राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, को (ग) से (ज) तक के खंडों के अंतर्गत तैयार किए गए मानकों, रणनीतियों तथा अन्य उपायों आदि के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु उपाय सुझाना;

(ट) सरकार को राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग हेतु संविधि सहित सांख्यिकीय मुद्दों पर विधायी उपायों की आवश्यकता संबंधी सलाह देना ।

(ठ) तैयार की गई नीतियों, मानकों तथा रीतिविधानों के मद्देनजर सांख्यिकीय प्रणाली के कार्यों का प्रबोधन तथा समीक्षा करना और निष्पादन वृद्धि हेतु उपायों की सिफारिश करना ।

7. राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग की स्थापना के साथ-साथ केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन(सीएसओ) तथा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) का एकल सत्ता में विलय हो जाएगा जिसे राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (एनएसओ) कहा जाएगा जो सांख्यिकी के क्षेत्र में भारत सरकार के कार्यकारी स्कंध

के रूप में कार्य करेगा और राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग द्वारा तैयार की गई नीतियों एवं प्राथमिकताओं के अनुसार कार्य करेगा । राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय का अध्यक्ष भारत सरकार के सचिव की रैंक का एक अधिकारी होगा जिसे भारत के मुख्य सांख्यिकीविद के रूप में पदनामित किया जाएगा और वह आयोग के सचिव के रूप में भी कार्य करेगा । वे सांख्यिकी विभाग में भारत सरकार के सचिव को कार्य करेंगे ।

8. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के दो स्कंध होंगे, अर्थात् (i) केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय; तथा (ii) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय । संगणक केन्द्र, जो आंकड़ा भंडारण तथा प्रसार का कार्य करता है, केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय का भाग होगा । इस प्रकार, भारत के मुख्य सांख्यिकीविद की सहायतार्थ सांख्यिकी के दो महा निदेशक, अर्थात् एक राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय का प्रभारी तथा दूसरा केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय का प्रभारी होगा जिसका रैंक भा.सां.से. के उच्चतम प्रशासनिक ग्रेड-I (एचएजी-I) का होगा ।

9. राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग की सेवार्थ एक सचिवालय होगा जिसका अध्यक्ष आयोग का सचिव होगा जिसकी सहायता हेतु वरिष्ट प्रशासनिक ग्रेड में भारतीय सांख्यिकीय सेवा का एक अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी होंगे ।

10. आयोग के पास अपने कार्यों को प्रभावी तथा क्षमतापूर्ण ढंग से निपटाने हेतु अपेक्षित स्वायत्तता होगी । विशेष रूप से आयोग के पास निम्नलिखित कार्यों हेतु शक्ति होगीः

(क) किसी दस्तावेज को प्रस्तुत करने की मांग करना जो आयोग की राय में सांख्यिकीय जरूरतों को पूरा करेगा अथवा पूरा कर सकता हो,

(ख) "कोर सांख्यिकी " के संदर्भ में प्रयुक्त अवधारणाओं, परिभाषाओं, अनुसरित रीतिविधानों, अपनाए गए गुणवत्ता मानकों, प्रतिचयन तथा गैर प्रतिचयन त्रुटियों आदि सहित सांख्यिकीय गतिविधियों के ब्यौरे उपलब्ध कराने हेतु
सांख्यिकीय अभिकरणों तथा संस्थानों की अपेक्षा रखना, तथा

(ग) कोर सांख्यिकी से जुड़े मामलों पर किसी लोक सेवक सहित किसी व्यक्ति को उपस्थित होने का आदेश देना ।

(घ) साक्ष्यों अथवा दस्तावेजों अथवा कोर सांख्यिकी से संबद्ध किसी मामले की जांच हेतु नोटिस जारी करना ।

11. आयोग के पास अपने संक्षिप्त तथा विस्तृत अवधि के कार्यक्रम तैयार करने का अधिकार भी होगा ।

12. "वित्त वर्ष के दौरान अपने क्रिया कलापों का पूरा लेखा-जोखा देते हुए आयोग प्रत्येक वर्ष के लिए अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे केन्द्र सरकार को भेजेगा । केन्द्रीय सरकार वार्षिक रिपोर्ट के साथ साथ उसमें की गई अनुशंसाओं पर की गई कार्रवाई और ऐसी अनुशंसाओं को स्वीकृत न किए जाने के कारणों पर एक ज्ञापन संसद के दोनों सदनों को प्रस्तुत करेगी । जहां कोई अनुशंसा अथवा कोई भी भाग किसी राज्य सरकार से संबंधित होगा, तो आयोग ऐसी अनुशंसा और उक्त भाग को राज्य सरकारों को अग्रेषित करेगा जो राज्य संबंधी अनुशंसाओं पर कृत कार्रवाई और ऐसी अनुशंसाओं को स्वीकार न करने के कारणों, यदि कोई हों, को स्पष्ट करते हुए एक ज्ञापन सहित उक्त भाग को राज्य विधानमण्डल के समक्ष प्रस्तुत करेंगे ।"

13. राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग की स्थापना के कारण वार्षिक व्यय, जिसमें वेतन एवं मजदूरी, घरेलू यात्रा, कार्यालय व्यय, भवन किराए पर लेना, व्यावसायिक सेवाए, प्रशासनिक सेवाएं तथा आयोग की दिन प्रतिदिन की प्रशासनिक जरूरतें शामिल हैं, को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत एक मांग से पूरा किया जाएगा और जिसे संसद द्वारा "स्वीकृत" किया जाएगा ।

(सं.ए-11011/1/2005-प्रशा.I)

अरुण कुमार सक्सेना
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

RESOLUTION

New Delhi, the 1st June, 2005

No. A-11011/1/2005-Ad.I – The National Statistical Commission set up by the Government in January 2000 under the Chairmanship of Dr. C. Rangarajan to review the statistical system of the country recommended the establishment of Statutory National Commission on Statistics to serve as a nodal and empowered body for all core statistical activities of the country, evolve, monitor and enforce statistical priorities and standards and to ensure statistical co-ordination. The Rangarajan Commission also recommended that the Commission be set up initially through a Government order with a modicum of authority so as to evolve the legislation taking into account the ground realities and the emerging requirements when it starts to function. In line with the above recommendations, it has been decided to set up the Commission initially through a Government resolution. It is expected that the Statutory Commission would be set up within a period of one year.

2. The National Statistical Commission will consist of -

(a) a part-time Chairperson who is, or has been, an eminent statistician or social scientist to be nominated by the Government of India;

(b) four part-time Members, one each from the following fields, to be nominated by the Government of India, from amongst the persons having specialization and experience in -

(i) economic statistics in such areas as agriculture, industry, infrastructure, trade or finance,

(ii) social and environment statistics in such areas as population, health, education, labour and employment or environment,

(iii) statistical operations in such areas as censuses, surveys, statistical information system or information technology, and

(iv) national accounts, statistical modeling or State Statistical Systems.

(c) The Secretary, Planning Commission as *ex-officio* Member.

(d) The Secretary, Ministry of Statistics and Programme Implementation will function as *ex-officio* Member Secretary of the Commission till the Chief Statistician of India assumes office. The

Chief Statistician of India, the post created specifically as the Head of the National Statistical Office will be the Secretary of the Statutory Commission.

3. The Chairman, Members and Secretary of the National Statistical Commission (Chief Statistician of India) will be selected on the basis of the recommendations of a Search Committee duly constituted by the Ministry of Statistics and Programme Implementation for the purpose. The Search Committee shall consist of

i. Deputy Chairman of the Planning Commission –Chairperson;
ii. Deputy Governor of the Reserve Bank of India-Member; and
iii. Two eminent persons who may be distinguished statisticians or social scientists with an intimate knowledge of the statistical system of the country-Members.

4. The Search Committee shall recommend names of three persons to the Government of India for selection as Chairperson and one of them would be nominated as the Chairperson. The search Committee shall also recommend names of two persons from each of the categories in 2(b) and 2(d) eligible to be appointed as Members and Chief Statistician respectively, and the Government of India shall nominate one member from each of the categories under 2(b) as Members of the Commission and appoint the Chief Statistician.

5. The tenure of the Chairperson and the Members shall be three years. The status of the Chairperson would be that of a Minister of State and the Members would be equivalent to Secretary to the Government of India.

6. The National Statistical Commission will perform the following functions:-

a. to identify the core statistics, which are of national importance and are critical to the development of the economy;
b. to constitute professional committees or working groups to assist the Commission on various technical issues;
c. to evolve national policies and priorities relating to the statistical system;
d. to evolve standard statistical concepts, definitions, classifications and methodologies in different areas in statistics and lay down national quality standards on core statistics;
e. to evolve national strategies for the collection, tabulation and dissemination of core statistics, including the release calendar for various data sets;
f. to evolve national strategies for human resource development on official statistics including information technology and communication needs of the statistical system;
g. to evolve measures for improving public trust in official statistics;
h. to evolve measures for effective co-ordination with State Governments and Union Territory Administrations on statistical activities including strengthening of existing institutional mechanisms;
i. to exercise statistical co-ordination between Ministries, Departments and other agencies of the Central Government;
j. to exercise statistical audit over the statistical activities to ensure quality and integrity of the statistical products;
k. to recommend to the Central Government, or any State Government, as the case may be, measures to effectively implement the standards, strategies and other measures evolved under clauses (c) to (h);
l. to advise the Government on the requirement of legislative measures on statistical matters including the statute for the National Statistical Commission;
m. to monitor and review the functioning of the statistical system in the light of the laid down policies, standards and methodologies and recommend measures for enhanced performance.

7. Along with the establishment of the National Statistical Commission, the Central Statistical Organization (CSO) and the National Sample Survey Organization (NSSO) will be merged into a single entity called the National Statistical Organization (NSO), which will function as the executive wing of the Government of India in the field of statistics and act according to the policies and priorities as laid down by the NSC. The NSO would be headed by an Officer of the rank of Secretary to the Government of India, who will be designated as the Chief Statistician of India and he will also function as the Secretary of the Commission. He will discharge the functions of Secretary of the Government of India in the Department of Statistics.

8. The NSO will have two wings, viz., (i) Central Statistics Office (CSO); and (ii) National Sample Survey Office (NSSO). The Computer Centre dealing with data

storage and dissemination will form part of the CSO. Thus, there will be two Director's General of Statistics to assist the Chief Statistician of India, viz., one in charge of NSSO and the other in charge of CSO in the rank of Higher Administrative Grade-I (HAG-I) of ISS.

9. The National Statistical Commission will be serviced by a Secretariat headed by Secretary of the Commission who will be supported by an officer of the Indian Statistical Service in the Senior Administrative Grade and other officials.

10. The Commission will have the requisite autonomy to discharge its functions effectively and efficiently. In particular the Commission will have powers to:

(a) require production of any document which in the opinion of the Commission will serve or may serve statistical purposes;
(b) require statistical agencies and institutions to provide details of statistical activities, including concepts and definitions used, methodologies followed, quality standards adopted, sampling and non-sampling errors, etc. in respect of core statistics;
(c) require attendance of any person including any public servant on matters connected with core statistics;
(d) issuing notices for examination of witnesses and documents or any matters connected with core statistics.

11. The Commission will also have authority to formulate its short and long-term programmes.

12. The Commission shall prepare, for each financial year, its Annual Report, giving a full account of its activities during the financial year and forward the same to the Central Government. The Central Government shall cause to be laid the Annual Report together with a memorandum of action taken on the recommendations therein, along with the reasons for the non-acceptance, if any, of any of such recommendations before each House of Parliament. Where any recommendation or any part thereof concerns any State Government, the Commission shall forward a copy of such recommendation or part thereof to such State Governments which shall cause it to be laid before the Legislature of the State along with a memorandum explaining the action taken on the recommendations relating to the State and reasons for the non-acceptance, if any, of any such recommendations.

13. The annual expenditure on account of the establishment of the National Statistical Commission including salary and wages, domestic travel, office expenses, hiring of accommodation, professional services, administrative services and requirements for day to day administration of the Commission will be met from a demand under the Ministry of Statistics and Programme Implementation and will be 'voted' by the Parliament.

(A.K. Saxena)
Joint Secretary to the Govt. of India

Annexure II

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 465] नई दिल्ली, बुधवार, मई 10, 2006/वैशाख 20, 1928
No. 465] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 10, 2006/VAISAKHA 20, 1928

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

अधिसूचना

राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों तथा भारत के प्रमुख सांख्यिकीविद् के लिए सेवा शर्तें

क्र.ए-11011/1/2005-प्रशा.I (खण्ड-IV) नई दिल्ली, दिनांक : 8 मई, 2006

राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग स्थापित करने संबंधी भारत सरकार के संकल्प सं.ए-11011/1/2005-प्रशा.-I, दिनांक 01 जून 2005 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों तथा भारत के प्रमुख सांख्यिकीविद् के लिए सेवा शर्तों का अनुमोदन करते हैं ।

2. **परिभाषाः**- इन सेवा शर्तों में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "सरकार" से तात्पर्य भारत सरकार से है ;

(ख) "आयोग"से तात्पर्य राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग है ;

(ग) "अध्यक्ष" से तात्पर्य आयोग के अध्यक्ष से है ;

(घ) "सदस्य"से तात्पर्य कमीशन के अध्यक्ष तथा पदेन सदस्यों के अलावा कमीशन के अन्य सदस्य से है ;

(ड़.) "संकल्प" से भारत सरकार का संकल्प सं.ए-11011/1/2005-प्रशासन-Iदिनांक 01 जून 2005 अभिप्रेत है से तात्पर्य कमीशन के अध्यक्ष तथा पदेन सदस्यों के अलावा कमीशन के अन्य सदस्य से है ;

(च) "सर्च समिति" से अभिप्राय सरकार द्वारा संकल्प के खण्ड 3 के तहत अनुमोदित समिति से है ।

3. अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, कार्य-अवधि तथा सेवा शर्तें

3.1 राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को इस उद्देश्य हेतु सम्यक रूप से गठित एक सर्च कमेटी की सिफारिशों के आधार पर सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा । आयोग के अध्यक्ष और सदस्य क्रमशः अल्प-कालिक अध्यक्ष और सदस्य होंगे ।

3.2 अध्यक्ष एक प्रख्यात सांख्यिकीविद् या समाज विज्ञानी और समकालीन सामाजिक, सांख्यिकीय और आर्थिक विकास सबंद्ध विषयों के मात्रात्मक तकनीक के महत्वपूर्ण प्रयोग और वैज्ञानिक पद्धति के अनुप्रयोग में संलग्न शिक्षा शाखा में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा ।

3.3 चार अल्प-कालिक सदस्य होगें, प्रत्येक निम्नलिखित क्षेत्र में विशेषज्ञता और अनुभव रखते हो-

(i) कृषि, उद्योग, अवसंरचना, व्यापार या वित्त जैसे क्षेत्रों में अर्थ सांख्यिकी

(ii) जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा, श्रम और रोजगार या पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में सामाजिक और पर्यावरण सांख्यिकी

(iii) जनगणना, सर्वेक्षण, सांख्यिकीय आसूचना प्रणाली या आसूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सांख्यिकीय कार्य

(iv) राष्ट्रीय लेखा, सांख्यिकीय मॉडलिंग या राज्य सांख्यिकीय प्रणाली ।

3.4 सर्च कमेटी विशेषज्ञता के उपरोक्त क्षेत्रों के प्रत्येक में अध्यक्ष के रुप में चुने जाने के लिए तीन व्यक्तियों के नामों तथा सदस्य के रुप में चुने जाने के लिए प्रत्येक दो व्यक्तियों के नामों की सिफारिश करेगी । सरकार सर्च कमेटी द्वारा सिफारिश किए गए पेनलों में से अध्यक्ष और सदस्य नियुक्त करेगी ।

3.5 अध्यक्ष की कार्य अवधि तीन वर्ष या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो, की होगी । सभी सदस्यों (पदेन सदस्यों के अलावा) की कार्य अवधि तीन वर्ष या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, की होगी । तथापि, उसने नियुक्ति के समय पर 55 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो । अध्यक्ष और सदस्यों को केवल एक अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा तथा पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे । तथापि सदस्य अध्यक्ष के रुप में नियुक्ति हेतु पात्र हैं ।

3.6 यदि अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है या अध्यक्ष किसी कारणवश अनुपस्थित रहते हैं या अपनी ड्यूटी करने में असमर्थ हैं, तो उन कार्यों का ऐसे दूसरे सदस्य द्वारा निर्वहन किया जाएगा जिसके लिए सरकार निदेश देगी, जब तक कि नये अध्यक्ष अपना कार्यभार ग्रहण न कर लें या वर्तमान अध्यक्ष अपना कार्यभार पुनर्ग्रहण न कर लें ।

3.7 सर्च कमेटी में किसी रिक्ति मात्र के कारण अध्यक्ष या अन्य सदस्यों की नियुक्ति अवैध नहीं होगी ।

3.8 आयोग के अध्यक्ष का स्तर राज्य मंत्री के स्तर का होगा तथा सदस्यों का स्तर सरकार के सचिव के स्तर का होगा ।

3.9 अध्यक्ष 10,000/-रुपये प्रतिमाह के मानदेय के हकदार होंगे । पदेन सदस्यों को छोड़कर, प्रत्येक सदस्य 7,500/-रुपये प्रतिमाह के मानदेय के हकदार होंगे ।

3.10 अन्यथा कहीं पर उल्लेख होते हुए भी, यदि आयोग का कोई सदस्य संसद या किसी राज्य विधानसभा का सदस्य हो तो वह संसद (अयोग्यता निवारण) अधिनियम, 1959 (1959 का 10) की धारा 2 के खण्ड (क) में निर्धारित भत्तों के अलावा किसी परिश्रमिक या जैसा कि मामला हो राज्य विधान सभा की सदस्यता हेतु अयोग्यता निवारण से संबंधित राज्य में लागू किसी कानून के अंतर्गत राज्य विधान सभा के सदस्य के लिए निर्धारित भत्तों, यदि कोई हो, के अलावा किसी पारिश्रमिक का हकदार नहीं होगा ।

3.11 आयोग के कार्य के संबंध में यात्रा करने के लिए अध्यक्ष तथा सदस्यगण एक्जीक्यूटिव श्रेणी में हवाई यात्रा या वातानुकूलित प्रथम श्रेणी में रेल द्वारा यात्रा करने के योग्य होंगे । वे आयोग के कार्य के लिए अपने निवास स्थान से बाहर यात्रा करने पर कमरे के किराए एवं दैनिक भत्ते के भी हकदार होंगे । कमरे का किराया एवं दैनिक भत्ता निम्न प्रकार ग्राह्य होगा :-

(i) किसी भी सरकारी गेस्ट हाऊस अथवा आईटीडीसी के मंझोले होटल जैसे- लोधी होटल, कुतुब होटल, जनपथ होटल, अशोक यात्री निवास अथवा राज्य सरकार द्वारा संचालित टूरिस्ट होटल अथवा भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र तथा इंडिया हैबिटेट सेंटर जैसी पंजीकृत संस्थाओं द्वारा प्रदत्त निवासी आवास में एक कमरे के किराए की प्रतिपूर्ति ।

(ii) सरकार द्वारा निर्दिष्ट सीमा तक निजी लॉज/होटल में ठहरने के लिए कमरे का किराया ।

(iii) भोजन की व्यवस्था के लिए सरकार के सचिव को यथा ग्राह्य दैनिक भत्ते की साधारण दर के 90% की दर से दैनिक भत्ता ।

(iv) आयोग के कार्यों के निपटान के लिए स्थानीय यात्रा हेतु परिवहन अथवा परिवहन शुल्क ।

3.12 अध्यक्ष एवं सदस्य सरकार के सचिव यथा ग्राह्य अपने निवास पर दूरभाष के बिल संबंधी प्रतिपूर्ति के लिए भी हकदार होंगे ।

3.13 अध्यक्ष एवं कोई भी अन्य सदस्य अपने हाथ से लिखित सूचना द्वारा राष्ट्रपति को संबोधित कर अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है ।

3.14 अध्यक्ष या सदस्य को कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश पर हटाया जा सकेगा जब राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को संदर्भित किये जाने पर संविधान के अनुच्छेद 145 के खण्ड (1) के उपखण्ड (i) में विनिर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जांच के उपरांत सर्वोच्च न्यायालय यह रिपोर्ट दे कि ऐसे किसी आधार पर अध्यक्ष/सदस्य को हटाया जाना चाहिए ।

3.15 राष्ट्रपति अध्यक्ष या किसी सदस्य को पद से निलंबित कर सकता है जिसके संबंध में इस नियम के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को एक संदर्भ भेजा गया है जब तक कि ऐसे संदर्भ पर सर्वोच्च् न्यायालय की रिपोर्ट की प्राप्ति पर राष्ट्रपति ने आदेश पारित कर दिया है ।

3.16 खण्ड 3.13 में किसी बात के होते हुए भी, राष्ट्रपति, आदेश द्वारा अध्यक्ष अथवा सदस्य को पद से हटा सकते हैं, यदि वे :-

(क) न्यायनिर्णीत दिवालिया हैं;

(ख) किसी ऐसे अपराध के लिए उन पर दोष सिद्ध होता है और उन्हें कारावास होता है, जो राष्ट्रपति के मत से नैतिक अधमता का द्योतक है; अथवा

(ग) वे राष्ट्रपति के मत से, मासिक या शारीरिक शैथिल्य के कारण पद पर बने रहने के अयोग्य हैं; अथवा

(घ) यदि राष्ट्रपति के मत से, उन्होंने अपने पद का दुरूपयोग किया है जिसके कारण व्यक्ति का पद पर बने रहना सांख्यिकीय प्रणाली के हितों के लिए हानिकारक होगा; अथवा

(ड.) वे अनुन्मोचित ऋणशोधक्षम बन जाते हैं; और

(च) कार्य करने से मना करते हैं अथवा कार्य करने में अक्षम हैं

परंतु अध्यक्ष/सदस्य को इस खंड के अधीन तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि मामले में उन्हें सुने जाने का उचित अवसर नहीं दिया जाता ।

4. भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् की नियुक्ति, कार्यावधि, और सेवा शर्तें ।

4.1 भारत के मुख्य सांख्यिकीविद्, आयोग के सचिव होंगे । वे राष्ट्रीय सांख्यिकीय संगठन के अध्यक्ष भी होंगे और सांख्यिकी विभाग में सचिव, भारत सरकार के कृत्यों का निर्वहन करेंगे ।

4.2 सर्च कमेटी, भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् के पद के लिए दो व्यक्तियों के नामों की सिफारिश करेगी, जिनमें से भारत सरकार एक व्यक्ति को भारत का मुख्य सांख्यिकीविद् नियुक्त करेगी । किसी बड़े सांख्यिकीय संगठन में सांख्यिकीय और प्रबंधकीय अनुभव वाले व्यक्तियों पर नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा ।

4.3 भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् की कार्यावधि पांच वर्ष अथवा बासठ वर्ष की आयु होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, की होगी । भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे और नियुक्ति के समय उनकी आयु 52 वर्ष की होनी चाहिए ।

4.4 भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् भारत सरकार के सचिव के वेतन एवं भत्तों के पात्र होंगे । वे सरकारी आवास, टेलीफोन, चिकित्सा सुविधाएं और अन्य उन सभी सुविधाओं के पात्र होंगे जो भारत सरकार के सचिव के लिए हैं ।

4.5 जहां किसी ऐसे व्यक्ति को भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् के रूप में नियुक्त किया जाता है, जो सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी अथवा किसी अन्य संस्थान या स्वायत्त निकाय का सेवानिवृत्त कर्मचारी हो और किसी भी पहली सेवा से संबंधित पेंशन प्राप्त करता हो, तो उस पेंशन की राशि और यदि उन्होंने पेंशन के एक भाग के बदले उसका संराशीकृत मूल्य प्राप्त किया है, तो उसे इन नियमों के अधीन ग्राह्य वेतन में से घटा दिया जाएगा ।

(अ.कु.सक्सेना)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

Service Conditions for Chairperson and Members of the National Statistical Commission and Chief Statistician of India

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th May,2006

No. A-11011/1/2005-Ad-I - In pursuance of the Government of India Resolution No.A-11011/1/2005-Ad. I, dated 1st June, 2005 regarding setting up of the National Statistical Commission, the Competent Authority hereby approves the service conditions for

Chairperson and Members of the National Statistical Commission and Chief Statistician of India.

2. Definition- In these Service conditions, unless the context otherwise requires,

(a) "Government" means the Government of India;
(b) "Commission" means the National Statistical Commission;
(c) "Chairperson" means the Chairperson of the Commission;
(d) "Member" means a Member of the Commission other than the Chairperson and the ex-officio Members of the Commission;
(e) "Resolution" means the Government of India Resolution No. A-11011/1/2005 - Ad-I, dated 1st June, 2005;
(f) "Search Committee" means the Committee approved by the Government under Clause 3 of the Resolution.

3. Appointment, Tenure and Service Conditions of the Chairperson and Members

3.1 The Chairperson and Members of the National Statistical Commission will be appointed by the Government on the basis of the recommendations of a Search Committee duly constituted for the purpose. The Chairperson and Members of the Commission will be part-time Chairperson and Members respectively.

3.2 The Chairperson has to be an outstanding statistician or social scientist and a person of eminence in an academic discipline involving application of scientific methods and significant use of quantitative techniques to contemporary social, statistical and economic development related subjects.

3.3 There will be four part time members, one each from the following fields having specialisation and experience in

(i) Economic statistics in such areas as agriculture, industry, infrastructure, trade or finance
(ii) Social and environment statistics in such areas as population, health, education, labour and employment or environment
(iii) Statistical operations in such areas as censuses, surveys, statistical information system or information technology
(iv) National accounts, statistical modeling or state statistical systems.

3.4 The Search Committee shall recommend names of three persons for selection as Chairperson and names of *two* persons each for selection as Member in each of the above areas of specialization. The Government shall appoint Chairperson and Members out of the panels recommended by the Search Committee.

3.5 The tenure of the Chairperson will be three years or till he/she attains the age of seventy years, whichever is earlier. The tenure of all the Members (other than the ex-officio Members) will be three years or till he/she attains the age of sixty five years,

whichever is earlier. Chairperson and Members should have, however, attained the age of 55 years at the time of appointment. The Chairperson and Members shall be appointed only for one term and are not eligible for re-appointment. However, Members are eligible for appointment as Chairperson.

3.6 If the office of the Chairperson becomes vacant or if the Chairperson is for any reason absent or unable to discharge the duties of his office, those duties shall, until the new Chairperson assumes office or the existing Chairperson resumes his office, as the case may be, be discharged by such other Member as the Government may direct.

3.7 No appointment of Chairperson or other Members shall be invalid merely by reason of any vacancy in the Search Committee.

3.8 The Chairperson of the Commission will have the status of a Minister of State in the Government and the Members will have the status of a Secretary to the Government.

3.9 The Chairperson will be entitled for an honorarium of Rs.10,000/- per month. Each Member, except the ex-officio Members, will be entitled for an honorarium of Rs.7, 500/- per month.

3.10 Notwithstanding anything contained otherwise, if the Chairperson or any other Member of the Commission happens to be a Member of Parliament, or a State Legislature, he shall not be entitled to any remuneration other than the allowances, defined in clause (a) of section 2 of the Parliament (Prevention of Disqualification) Act,1959 (10 of 1959) or as the case may be, other than the allowances, if any, which the Member of the Legislature of the State may, under any law for the time being in force in the State relating to the prevention of disqualification for membership of the State Legislature receive without incurring such disqualification.

3.11 The Chairperson and Members will be eligible to travel by air in executive class or by rail in air-conditioned first class while undertaking tours in connection with the work of the Commission. They will also be eligible for room rent and daily allowance for travel in connection with the work of the Commission outside their place of residence. The room rent and daily allowance admissible would be as follows:

(i) Reimbursement of rent in any State Guest House or for single room in medium range ITDC hotels like Lodhi Hotel, Qutab Hotel, Janpath Hotel, Ashok Yatri Niwas or State Government run Tourist Hotels/Hostels or residential accommodation provided by registered societies like India International Centre and India Habitat Centre.

(ii) Room rent for stay in private lodges/hotels upto the limits specified by the Government.

(iii) D.A. at the rate of 90% of ordinary rates of DA as admissible to the Secretary to the Government for boarding purpose.

(iv) Transport or transport charges for local travel in discharge of the functions of the Commission.

3.12 The Chairperson and Members will also be eligible for reimbursement of bills relating to a telephone at their residence as admissible to the Secretary to the Government.

3.13 The Chairperson and any other Member, may, by notice in writing under his hand addressed to the President, resign his post.

3.14 The Chairperson or a Member shall only be removed from his office by order of the President on the ground of misbehavior after the Supreme Court, on reference being made to it by the President, has on inquiry held in accordance with the procedure prescribed by it under sub-clause (1) of clause (1) of Article 145 of the Constitution, reported that the Chairperson/Member ought to be removed on any such ground.

3.15 The President may suspend from office the Chairperson or a Member in respect of whom a reference has been made to the Supreme Court under this sub-rule until the President has passed order on receipt of the report of the Supreme Court on such reference.

3.16 Notwithstanding anything in clause 3.13, the President may by order remove from office the Chairperson or a Member if he/she

(a) is adjudged an insolvent; or
(b) gets convicted and sentenced to imprisonment for an offence which in the opinion of the President involves moral turpitude; or
(c) is, in the opinion of the President, unfit to continue in office by reason of infirmity of mind or body or
(d) if in the opinion of the President has so abused his/her position as to render that person's continuance in office detrimental to the interest of the Statistical System, or
(e) becomes an un-discharged solvent and
(f) refuses to act or becomes incapable of acting.

Provided that the Chairperson/Member shall not be removed under this clause until he/she has been given a reasonable opportunity of being heard in the matter.

4. Appointment, Tenure and Service Conditions of the Chief Statistician of India.

4.1 The Chief Statistician of India will be the Secretary of the Commission. He will also be the head of the National Statistical Organisation and discharge the functions of the Secretary to the Government of India in the Department of Statistics.

4.2 The Search Committee shall recommend names of two persons for the post of the Chief Statistician of India, out of which the Government of India shall appoint one person as the Chief Statistician of India. Persons with statistical and managerial experience in a large statistical organization shall be considered for appointment.

4.3 The tenure of the Chief Statistician of India will be five years or till he/she attains the age of sixty two years, whichever is earlier. The Chief Statistician of India will be eligible for reappointment. He/she should have attained the age of 52 years at the time of appointment.

4.4 The Chief Statistician of India will be eligible for the salary and allowances of a Secretary to the Government of India. He will also be eligible for Government accommodation, telephone, medical attendance and all other facilities as admissible to a Secretary to the Government of India.

4.5 Where any person being a retired government servant or retired servant of any other Institution or autonomous body and in receipt of a pension in respect of any previous service, is appointed as the Chief Statistician of India, the salary admissible to him under these rules shall be reduced by the amount of that pension and if he had received in lieu of a portion of the pension, the commuted value thereof, by the amount of that portion of the pension.

(A.K. Saxena)
Joint Secretary to the Govt. of India

Annexure III

(राजपत्र के भाग III खण्ड 4 में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

सरदार पटेल भवन, संसद मार्ग,
नई दिल्ली-110001, दिनांकः 3 जुलाई, 2006

अधिसूचना

सं.आर-16025/3/2005-रा.सां.आ. - भारत सरकार के संकल्प सं.ए-11011/1/2005-प्रशा.I दिनांक 1-6-2005 के अनुसरण में राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग निम्नलिखित को शामिल करते हुए गठित किया गया है :-

(i)	प्रो.सुरेश तेंदुलकर, सेंटर फॉर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स	**अध्यक्ष**
(ii)	डॉ. सुरजीत एस.भल्ला, एस-160, पंच शिला पार्क, नई दिल्ली-110017	**सदस्य**
(iii)	डॉ. अमिताभ कुंदू, प्रोफेसर, क्षेत्रीय विकास अध्ययन केन्द्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली-110067.	**सदस्य**
(iv)	डॉ. पदम सिंह, 2062, पार्क रॉयल, सेक्टर-9, ब्लॉक 10ए, द्वारका, नई दिल्ली-110045.	**सदस्य**
(v)	प्रो. बिकाश सिन्हा, प्रोफेसर, सैद्धांतिक सांख्यिकी तथा गणित प्रभाग, भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, 203, बी.टी.रोड, कोलकाता-700108.	**सदस्य**

उपर्युक्त चार सदस्यों के अतिरिक्त, सचिव, योजना आयोग, आयोग के पदेन सदस्य होंगे । भारत के प्रमुख सांख्यिकीविद् आयोग के सचिव के रूप में कार्य करेंगे । भारत के प्रमुख सांख्यिकीविद् के पदभार संभालने तक सचिव, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, आयोग के पदेन सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे ।

2. आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य अंशकालिक अध्यक्ष तथा सदस्य होंगे । अध्यक्ष का कार्यकाल तीन वर्ष अथवा उनके सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, होगा । सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष अथवा उनके पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, होगा ।

3. अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति, कार्यकाल तथा सेवा शर्तें भारत सरकार की अधिसूचना सं.-ए-11011/1/2005-प्रशा.I(खण्ड-IV) दिनांक 8 मई, 2006 के द्वारा शासित होंगी । आयोग के अध्यक्ष का स्तर भारत सरकार में एक राज्यमंत्री का होगा तथा सदस्यों का स्तर भारत सरकार के सचिव का होगा ।

4. राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से तथा दक्षतापूर्वक निष्पादित करेगा जैसा कि संकल्प सं.ए-11011/1/2005-प्रशा.I दिनांक 1-6-2005 में अनुबद्ध है ।

5. राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग पर होने वाला समस्त व्यय लेखा-शीर्ष 3451(मुख्यशीर्ष) के अंतर्गत वहन किया जाएगा ।

6. यह अधिसूचना 12 जुलाई, 2006 से लागू होगी ।

(अरूण कुमार सक्सेना)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

Annex.- III

Government of India
Ministry of Statistics and Programme Implementation

Sardar Patel Bhawan, Parliament Street
New Delhi-110 001, dated the 3rd July, 2006

NOTIFICATION

No.R-16025/3/2005-NSC. In pursuance of the Government of India Resolution No. A-11011/1/2005-Ad-I dated 1.6.2005, the National Statistical Commission is constituted with the following: -

(i) Prof. Suresh Tendulkar, Centre for Development Economics, Delhi School of Economics – **Chairman**.
(ii) Dr. Surjit S. Bhalla, S-160, Panch Shila Park, New Delhi-110017 – **Member**.
(iii) Dr. Amitabh Kundu, Professor, Centre for Study of Regional Development, Jawaharlal Nehru University, New Delhi-110067 – **Member**.
(iv) Dr. Padam Singh, 2062, Park Royal, Sector-9, Block 10A, Dwarka, New Delhi - 110045 – **Member**.
(v) Prof. Bikas Sinha, Professor, Division of Theoretical Statistics & Mathematics, Indian Statistical Institute, 203 B.T. Road, Kolkata-700108 – **Member**.

Besides the above four Members, Secretary, Planning Commission will be *ex-officio* Member of the Commission. The Chief Statistician of India will function as Secretary to the Commission. The Secretary, Ministry of Statistics and Programme Implementation will function as *ex-officio* Member Secretary of the Commission till the Chief Statistician of India assumes office.

2. The Chairman and Members of the Commission will be part-time Chairman and Members. The tenure of the Chairman will be three years or till he attains the age of seventy years, whichever is earlier. The tenure of the Members will be three years or till they attain the age of sixty-five years, whichever is earlier.

3. The appointment, tenure and service condition of the Chairman and Members shall be governed by Government of India Notification No.A-11011/1/2005-Ad.I (Vol.IV) dated 8th May, 2006. The Chairman of the

Commission will have the status of a Minister of State in the Government of India and the Members will have the status of a Secretary to the Government of India.

4. The National Statistical Commission will perform the functions effectively and efficiently as stipulated in the Resolution No. A-11011/1/2005-Ad-I dated 1.6.2005.

5. All expenditure on account of the National Statistical Commission will be incurred under the Head of Account 3451 (Major Head).

6. This notification will come into force with effect from 12th July 2006.

(A.K. Saxena)
Joint Secretary to the Govt. of India